c t V Hkk"k.k
2017&18

ekuuh; v/;{k egkn;]

आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूँ।

माननीय सदस्यगण,

बजट निर्माण को आमतौर पर एक रूटीन काम समझा जाता है। अंग्रेजी में कहावत है– You never enter same river twice. अर्थात् नदी में जब–जब आप पांव रखेंगे, पुराना पानी बह गया होगा और नया पानी बह रहा होगा। अर्थव्यवस्था जैसे परिवर्तनशील और Dynamic मसले को रूटीन तौर पर न समझा जा सकता है और न संभाला जा सकता है। पिछले एक वर्ष में दुनिया और देश की अर्थव्यवस्था में काफी उथल–पुथल हुए हैं। इसका असर सब जगह दिख रहा है और आम आदमी महसूस कर रहा है। हमारी और आपकी जिंदगी में ऐसा दौर कभी नहीं आया होगा जब 100 दिनों तक बाजार में रूपये की किल्लत हो। हमारी 94 प्रतिशत व्यवस्था रूपये पर चलती है। हम अभी Plastic Money और Digital Transaction को नहीं अपना पाये हैं। ऐसी स्थिति में रोजगार, आमदनी, खर्च और दैनिक जीवन बहुत प्रभावित हुआ है।

केन्द्र सरकार ने कई नीतिगत निर्णय लिये हैं, इनका भी काफी असर अर्थव्यवस्था और सिस्टम पर पड़ा है, 1951 से लागू योजना एवं गैर योजना के अलग–अलग वर्गीकरण को वित्तीय वर्ष 2017–18 से समाप्त कर दिया गया है फलतः राज्य सरकार ने भी वित्तीय वर्ष 2017–18 से योजना एवं गैर योजना मद का विलय कर बजट लेखा कोड को राजस्व एवं पूंजीगत श्रेणी में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया है। वित्तीय वर्ष 2017–18 से राज्य सरकार के व्यय का वर्गीकरण स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय, राज्य स्कीम, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम एवं केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के रूप में किया जाएगा।

बजट 2017–18 का दस्तावेज सिर्फ विभागों के स्तर पर किये गए चिंतन के आधार पर नहीं बनाया गया है, इसमें वित्त विभाग के वेबसाईट, समाचार पत्रों और प्रमण्डलीय स्तरों पर अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों से रायशुमारी की गयी है। 4 जनवरी, 2017 को नई दिल्ली में राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ केन्द्रीय वित्त मंत्री के सलाह मशविरे और माननीय मुख्यमंत्री के बहुमूल्य सुझावों को शामिल कर बजट तैयार किया गया है।

हर बजट की अपनी प्राथमिकताएँ और फोकस होती है। हमारी प्राथमिकता–

(क) विकास

(ख) गरीबी उन्मुलन

(ग) वित्तीय स्थायित्व है।

मुझे यह अवगत कराते हुए बहुत हर्ष है कि बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 एवं 14वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार वर्ष 2015–16 में राज्य सरकार की उल्लेखनीय उपलब्धियां हैं :–

(i) राज्य सरकार ने विगत 5 वर्षो में राजस्व आधिक्य प्राप्त किया। वर्ष 2015–16 के लिए राजस्व आधिक्य 12507.16 करोड़ रुपये रहा जो जी0एस0डी0पी0 का 2.57 प्रतिशत है।

(ii) वर्ष 2015–16 के दौरान राजकोषीय घाटा 12061.58 करोड़ रुपये रहा जो जी0एस0डी0पी0 का 2.48 प्रतिशत था।

(iii) वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान ऋण एवं बकाये दायित्व, आकलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 23.92 प्रतिशत रहा।

उपरोक्त उपलब्धियों के कारण राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य सकल घरेलू उत्पाद का निवल ऋण अधिसीमा 3 प्रतिशत के स्थान पर 3.50 प्रतिशत तक ऋण उगाही करने की पात्रता रखती है।

महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य अवगत हैं हमारी सरकार ने अपने चुनावी वादों को पूरा करने एवं विकसित बिहार का निर्माण करने के लिए 7 निश्चयों की घोषणा की थी;

- आर्थिक हल, युवाओं को बल,
- आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार
- हर घर बिजली
- हर घर नल का जल
- घर तक पक्की गली–नालियाँ
- शौचालय निर्माण, घर का सम्मान
- अवसर बढ़े, आगे पढ़ें

महिलाओं को और अधिकार देने के लिये सेवा संवर्गों में महिलाओं के लिये 35 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है। अन्य निश्चयों पर कार्य आरम्भ कर दिया गया है एवं नियत समय में कार्य पूरा कर लिया जायगा।

बजट जितना सहज होगा आमलोगों की उतनी ही भागीदारी होगी। सात निश्चय की घोषणा करते समय इसका पूरा ख्याल रखा गया है। यही कारण है कि अभी एक साल ही बीता है, किन्तु अधिकांश कार्यक्रम जमीन पर दिखायी पड़ने लगे हैं। इसके लिए अद्यतन उपलब्ध तकनीक और अनुभव के आधार पर हमने कार्य प्रणाली में भी सुधार किया है। सामाजिक एवं आर्थिक (Socio- Economic) समन्वय का अनोखा उदाहरण पूर्ण नशाबंदी है। इसे लागू करने में सरकार से अधिक जन सहयोग की भूमिका है, यह गाँव में गरीबों की झोपड़ी में साफ–साफ दिख रहा है। उसी आय में बेहतर रहन–सहन, परिवार में सद्भाव और अपराध के आँकड़ों में उल्लेखनीय कमी, जनता के प्रति सरकार की वह उपलब्धि है जो आम, अनपढ़ और गरीब के चेहरे पर आप पढ़ सकते हैं।

साम्प्रदायिक सद्भाव के अन्तर्गत गुरू गोविंद सिंह जी की 350वीं जयंती के आयोजन में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सहभागिता इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में लिखी जाएगी।

विकास के जितने आयाम हैं, कोर सेक्टर हैं, धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यक हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दलित और महादलित हैं, सबों के सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक हित का सरकार संरक्षण करती रही है। आगे भी करती रहेगी। वित्तीय वर्ष 2017–18 के बजट निर्माण के दौरान हमारी सोच का यही विस्तार (Canvas) था।

पिछले वर्ष के बजट भाषण में मैंने कई पहल (Initiatives) का जिक्र, विशेष तौर पर, किया था, यथा–

¼d½ राज्य सरकार ने हथकरघा क्षेत्र के लिए विकास कार्यक्रम शुरू किया है। इससे बुनकर व अन्य ग्रामीण परिवारों के लिए बड़ी संख्या में जीविका उपलब्ध करायी जा सकती है। विभिन्न जिलों में उत्पादन और विपणन सुविधाओं और औद्योगिक केन्द्रों की स्थापना पर विशेष रूप से फोकस किया जाएगा।

¼[k½ अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में अल्पसंख्यकों की जीविका संबंधी स्थितियों में सुधार के लिए राज्य सरकार उन गांवों में बहु–क्षेत्रीय कौशल विकास केन्द्र स्थापित कर रही है। ये केन्द्र अल्पसंख्यकों के लिए सांस्कृतिक केन्द्र का भी काम करेंगे।

¼x½ वित्तीय वर्ष 2017–18 में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के लिए आवास की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर होगी।

¼?k½ कार्यरत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए प्रभावकारी स्वास्थ्य योजना लागू की जाएगी।

¼3½ राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि 05(पाँच) हजार से अधिक की आबादी पर बैंकों की शाखाएं खोली जाय, बैंकों को शाखाओं की संख्या बढ़ानी होगी ताकि ऋण लेने के लिए मीलों का सफर तय नहीं करना पड़े, खाताधारियों को प्लास्टिक मनी–डेबिट कार्ड, दिया जाय ताकि वे व्यवसाय की नई व्यावहारिक जानकारी हासिल कर सकें। व्यापारियों, दुकानों, होटल एवं पेट्रोल पम्प में अभियान चलाकर P.O.S.(Point of Sale) मशीन लगाये जाएं जिससे अप्रत्यक्ष कर की चोरी न हो।

उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर प्रगति हो रही है। आगामी वित्तीय वर्ष 2017–18 में भी इनपर फोकस रहेगा।

foÙk foHkkx

वर्ष 2016–17 में चालू मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) 540556 (चौवन खरब पाँच अरब छप्पन) करोड़ रूपये था जो वर्ष 2017–18 में 632180 (तिरेसठ खरब एक्कीस अरब अस्सी करोड़) करोड़ रूपये अनुमानित है।

वर्ष 2015–16 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.48 प्रतिशत रहा। राज्य का राजकोषीय घाटा वर्ष 2016–17 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.87 प्रतिशत एवं वर्ष 2017–18 में 2.87 प्रतिशत अनुमानित है, जो FRBM Act, 2006 एवं इस संबंध में 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा एवं FRBM (Amendment) Act, 2016 में निर्धारित अधिसीमा के अनुरूप है।

बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2016 प्रवृत्त है जिसके अन्तर्गत 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा एवं वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निदेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2019–20 की अवधि में राज्य के लिए राजकोषीय घाटा अधिकतम 3.5 प्रतिशत सीमा तक प्राप्त हो सकता है।

वर्ष 2014–15 में कुल लोक ऋण एवं अन्य दायित्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 24.62 प्रतिशत था जो वर्ष 2015–16 में घट कर 23.92 प्रतिशत रह गया है।

भारत सरकार के मिशन मोड प्रोजेक्ट के अन्तर्गत CFMS परियोजना के तहत राज्य के सभी वित्तीय संव्यवहार ऑन–लाईन करने का कार्य प्रारंभ हो गया है। इस हेतु 220 (दो सौ बीस) करोड़ रूपये की योजना स्वीकृत की गयी है।

CTMIS के तहत e-Receipt Module संस्थापित करने की कार्रवाई की जा रही है। सरकारी समस्त कर–राजस्व e-Receipt के माध्यम से प्राप्त करने के लिए CTMIS में Online Government Revenue and Accounting Management System(O-GRAS) संस्थापित किया गया है।

बिहार सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु लाभांवितों को Subsidy/Scholarship इत्यादि की राशि RTGS/NEFT के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2015 से 2020 तक की अवधि में बुनियादी अनुदान एवं कार्य निष्पादन अनुदान की राशि क्रमशः 21057.04 करोड़ रूपये एवं 2637.03 करोड़ रूपये हैं जिसमें से वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए बुनियादी अनुदान एवं कार्य निष्पादन अनुदान के लिए निर्धारित लक्ष्य क्रमशः 4041.29 करोड़ रूपये एवं 585.19 करोड़ रूपये रखा गया है।

DFID संपोषित GROW Bihar परियोजना के तहत राज्य सरकार के कुल 8 विभागों को शामिल कर इनके विकास, संसाधन, संभावना एवं परिसंपत्तियों के निर्माण पर तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु DFID द्वारा राज्य सरकार के साथ मिलकर GROW Bihar परियोजना प्रारंभ की गई है।

राज्य सरकार एवं Bill & Melinda Gates Foundation के बीच स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, समेकित बाल विकास परियोजना, कृषि, ग्रामीण विकास (जीविका) तथा वित्तीय समावेषण के प्रक्षेत्र में सहयोग हेतु वर्ष 2016–2021 (कुल पाँच वर्षों) तक पारस्परिक सहयोग संबंधी ज्ञापन (Memorandum of Co-operation) एवं अनुबंध की स्वीकृति दी गई है।

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विकास में सुदुर संवेदन चित्रों एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) तकनीक का समुचित उपयोग करने हेतु बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 के नियम 129 के अंतर्गत Bihar Remote Sensing Application Centre (BIRSAC) को Remote Sensing एवं GIS Services के क्षेत्र में नोडल एजेंसी एवं राज्य क्रय संगठन नामित किया गया है।

बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम–344 में पी०डी० खाता में जमा राशि के व्ययगत होने की समय सीमा के प्रावधान में संशोधन कर इसे 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष किया गया है।

राज्य के 35 जिलों में कोषागार भवन का निर्माण कराया गया है तथा दो जिलों भोजपुर तथा सीवान में कोषागार भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

सहायक अनुदान की प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया सुगम करने के लिए वित्त विभागीय संकल्प संख्या–96 दिनांक 03.01.2008 में निर्धारित सक्षम प्राधिकार के स्तर से ही सहायक अनुदान मद में भी प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु उस संकल्प में आवश्यक संशोधन किया गया है।

राज्य में वित्तीय अनुशासन को सुदृढ़ करने हेतु मुख्य लेखा नियंत्रक इकाई में 41 नये अंकेक्षकों की नियुक्ति की गई है। ऑडिट एक्ट एवं ऑडिट मैनुअल तैयार कर लिया गया है और संवर्गीय नियमावली अनुमोदन की प्रक्रिया में है।

वर्ष 2017–18 में, प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसा के आलोक में मुख्य लेखा नियंत्रक संगठन की इकाई का पुनर्गठन आंतरिक अंकेक्षण निदेशालय के रूप में किया जाना प्रस्तावित है। इसके माध्यम से पंचायतीराज संस्थाओं एवं स्थानीय शहरी निकायों के अंकेक्षण की व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने पर विचार किया जा रहा है।

वित्तीय समायोजन योजना अन्तर्गत बैंकिंग सुविधाएं गाँव में उपलब्ध कराने हेतु Banking Correspondent (BC) /Business Facilitator (BF) के 12916 एजेंट की बहाली की गयी है।

foÙk foHkkx dk o"k 2017&18 e 956-58 djkM ¼uk vjc Nliu djkM vUBkou yk[k :i; vkofVr dju dk iLrko djrk g ftle Ldhe en e 62-00 djkM ¼ckslB djkM½ :i; rFkk LFkkiuk ,o ifrc) 0;; en e 894-58 djkM ¼vkB vjc pkjkuo djkM vUBkou yk[k :i; 'kkfey gA

vYil[;d dY;k.k foHkkx

राज्य सरकार अल्पसंख्यकों के बहुमुखी विकास हेतु कृत संकल्पित है। इस हेतु अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को वार्षिक स्कीम में वर्ष 2016–17 के बजट में कुल आवंटित राशि 347.80 करोड़ रूपये (B.E.) की तुलना में वर्ष 2017–18 में कुल 873.19 करोड़ रूपये (B.E.) प्रस्तावित की गयी है। इस प्रकार राशि वर्ष 2016–17 की अपेक्षा लगभग 151.06 प्रतिशत अधिक है। सच्चर कमिटी की सिफारिशों के आलोक में राज्य के अल्पसंख्यकों के बहुमुखी विकास हेतु विभिन्न प्रकार की योजनाएँ चलाई जा रही हैं।

मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजनांतर्गत प्रथम श्रेणी में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं को दस हजार रूपये प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। वर्ष 2016 में उत्तीर्ण 1,23,129 (एक लाख तेईस हजार एक सौ उनतीस) अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को इस योजना से लाभान्वित किया गया है ।

मुस्लिम परित्यक्ता सहायता येाजनांतर्गत प्रत्येक मुस्लिम परित्यक्ता महिला लाभार्थी को एकमुश्त 10,000/– (दस हजार) रूपये की दर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना से अब तक कुल 12000 (बारह हजार) मुस्लिम परित्यक्ता महिलाओं को लाभान्वित किया गया है।

अल्पसंख्यक छात्रावास योजनान्तर्गत राज्य के सभी जिलों में अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण की योजना कार्यान्वित की जा रही है। 35 छात्रावासों में से 30 छात्रावास कार्यरत है तथा शेष का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के माध्यम से अल्पसंख्यकों के आर्थिक एवं विकासात्मक कार्यो को बढ़ावा देने एवं उद्यमीय तकनीकी कौशल के स्तर में सुधारने के लिए आर्थिक मदद दी जा रही है।

वर्ष 2012–13 से लागू ^^e[;e=h vYila[;d jkstxkj _.k ;kstuk** के तहत बेरोजगार युवकों को 5 प्रतिशत साधारण ब्याज दर पर अधिकतम 5 लाख रूपये तक का ऋण देकर उन्हें स्वावलंबी बनाना है। दिसम्बर 2016 तक 8743 (आठ हजार सात सौ तैंतालिस) अल्पसंख्यक लाभुकों को स्वरोजगार हेतु 89.96 करोड़ (नवासी करोड़ छियानवे लाख) रूपये का वितरण किया गया है।

वर्ष 2011–12 से लागू ^^e[;e=h vYila[;d f'k{kk _.k ;kstuk** के तहत अल्पसंख्यक छात्र/ छात्राओं को तकनीकी एवं उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराय जा रहा है। दिसम्बर 2016 तक 2958 (दो हजार नौ सौ अनठावन) अल्पसंख्यक लाभुकों के बीच 25.73 करोड़ (पचीस करोड़ तिहत्तर लाख) रूपये वितरित किया गया है।

मुख्यमंत्री श्रमशक्ति योजनाः– मुख्यमंत्री श्रमशक्ति योजना अन्तर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, (MSME, Tool Room & Training Centre, Patna) भारत सरकार की संस्था द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के 186 प्रशिक्षणार्थियों को 8 विभिन्न ट्रेडों में तथा सेन्ट्रल इन्स्टीच्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी CIPET द्वारा 111 प्रशिक्षुओं को प्लास्टिक तकनीकी के 4 विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। इसी तरह Raymond Ltd. कम्पनी, पटना द्वारा भी 26

अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को टेलरिंग कार्य का प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। वर्ष 2017–18 में 8000 (आठ हजार) अल्पसंख्यक समुदाय के युवक/युवतियों को इस योजना से लाभान्वित करने का लक्ष्य है।

राज्य कोचिंग योजनान्तर्गत बिहार लोक सेवा आयोग की तैयारी हेतु कोचिंग की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही बैंक, रेलवे, कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा की तैयारी हेतु पटना और अररिया केन्द्रों पर 60–60 अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं के कोचिंग की व्यवस्था की गयी है। बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी हेतु 75 एवं कक्षपाल (सिपाही) में भर्त्ती हेतु 100 अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को शारीरिक प्रशिक्षण दिया गया है।

अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन हेतु अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में प्रखंड स्तर पर प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के पदों के सृजन की कार्रवाई की जा रही है।

जिलों में अल्पसंख्यक कार्यालय भवन तथा जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के आवासीय भवन का निर्माण कराया जा रहा है।

विभाग के अधीन कार्यरत बिहार राज्य उर्दू अकादमी, अंजुमन तरक्की–ए–उर्दू, बिहार, बिहार राज्य हज समिति, बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड, बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग एवं बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के माध्यम से अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ कार्य कराये जा रहे हैं।

सुशासन के कार्यक्रम (वर्ष 2015–20) के अंतर्गत पूरी दृढ़ता एवं संकल्प के साथ साम्प्रदायिक सद्भाव और सामाजिक सौहार्द का वातावरण बनाये रखना, अल्पसंख्यकों की उचित भागीदारी, शिक्षा तथा रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण, मदरसा आधुनिकीकरण, उर्दू भाषा के विकास, कब्रिस्तान की घेराबंदी तथा अल्पसंख्यक संस्थाओं को सक्षम बनाने का कार्य किया जा रहा है।

अंजुमन इस्लामियॉ हॉल, पटना, के पुनर्निर्माण हेतु 3518 (पैंतीस करोड़ अठारह) लाख रूपये की स्वीकृति दी गयी है।

मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजनान्तर्गत वर्ष 2016 से भाषाई अल्पसंख्यक (बंगला भाषी) छात्र/छात्राओं को भी मैट्रिक परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति दी गई है ।

केन्द्र प्रायोजित एम0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत राज्य के चिन्हित 20 जिलों में 75 अल्पसंख्यक बाहुल्य प्रखंड एवं 8 शहर हैं। अल्पसंख्यकों के बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम के तहत शिक्षा एवं स्वास्थ्य प्रक्षेत्र अन्तर्गत कुल 612 इकाई निर्माण योजनाओं की स्वीकृति दी गयी है ।

केन्द्र प्रायोजित एम0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक बाहुल्य प्रखंडों में ^^lnHkko e.Mi** अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं कौशल विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाये जा रहे हैं। अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में अल्पसंख्यकों की जीविका संबंधी स्थितियों में सुधार के लिए राज्य सरकार उन गांवों में बहु–क्षेत्रीय कौशल विकास केन्द्र स्थापित कर रही है। ये केन्द्र अल्पसंख्यकों के लिए सांस्कृतिक केन्द्र का भी काम करेंगे।

vYil[;d dY;k.k foHkkx dk o"k 2017&18 e 595-07 djkM¼ikp vjc iupkuo djkM lkr yk[k½ :i;s vkofVr dju dk iLrko djrk gq ftle Ldhe en e 567-33 djkM ¼ikp vjc lM lB djkM rhl yk[k½ :i;s rFkk LFkkiuk ,o ifrc) 0;; en e 27-74 djkM ¼lrkbl djkM pkgRrj yk[k½ :i;s 'kkfey gA

df"k foHkkx

कृषि का विकास सरकार की प्राथमिकता है। 2008 में पहली बार कृषि रोड मैप बनाया गया। वर्ष 2012–13 में 2012 से 2017 तक के लिए द्वितीय कृषि रोड मैप तैयार किया गया है।

कृषि रोड मैप के अधीन खाद्यान्न फसलों की उत्पादकता में बढ़ोतरी के लिए श्री–विधि से धान की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु लघु तथा सीमान्त किसानों एवं कृषि मजदूरों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। धान की पैदावार को बढ़ाने के लिए आधुनिक यंत्र खासकर पैडी ट्रांसप्लांटर तथा पैडी ड्रम सीडर को बढ़ावा देने एवं जीरो–टिलेज विधि से गेहूँ की खेती को प्रोत्साहित करने, कस्टम हायरिंग केन्द्र (कृषि यंत्र बैंक) का विस्तार करने एवं प्रत्येक किसान को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराने की योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। 362 प्रखंडों मे ई–किसान भवन के निर्माण का कार्य पूरा हो गया है। कृषि शिक्षा के प्रति उन्मुख करने के लिए प्रत्येक मेधावी छात्र को 2,000 रूपये प्रतिमाह स्टाईपेंड तथा 6,000 रूपये प्रति वर्ष पुस्तक आदि खरीदने के लिए सहायता दी जा रही है।

जल संरक्षण योजना अंतर्गत 255 विभिन्न आकार के संरचना का निर्माण, 22 पक्का चेक डैम का निर्माण, 8 सामुदायिक तालाब के जीर्णोद्धार का कार्य पूर्ण किया गया है। राज्य के 14 जिलों में वर्ष 2016–17 में अब तक 4169 तालाब निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

प्रधानमंत्री कृषि सिचांई योजना अंतर्गत जलछाजन प्रबंधन कार्यक्रम के तहत 786 जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया गया है। इस प्रकार 7299 एकड़ अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ।

जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, अभी तक 18 हजार 730 वर्मी कम्पोस्ट इकाई की स्थापना की गई है। 107 किसानों को गोबर गैस की स्थापना के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।

राज्य के दलहनी एवं तेलहनी फसलों के बीज उत्पादन को प्राथमिकता दी जाएगी। विभिन्न शोध संस्थानों से प्रजनक बीज प्राप्त कर आधार बीज एवं प्रमाणित बीज उत्पादन किये जाएंगे। वैज्ञानिक खेती के प्रचार–प्रसार के लिए प्रत्यक्षण लगाए जाएंगे।

वर्ष 2017–18 में बागवानी विकास कार्यक्रम अंतर्गत नये बाग की स्थापना तथा पुराने बागों के जीर्णोंद्धार के लिए किसानों को सहायता दिये जाने तथा मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन तथा जैविक सब्जी की खेती को प्रोत्साहित किये जाने हेतु किसानों के बीच टीशु कल्चर, केला की 50 लाख जी०–9 प्रभेद के टीशु कल्चर पौधे, अनुदानिक दर पर तथा 50 हजार मधुमक्खी बक्से उपलब्ध कराये जाऐंगे। बागवानी फसलों के अंतर्गत औषधि एवं सुगन्धित पौधे, फूलों की खेती एवं मसाला की खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा।

इन्डो इजरायल प्रोजेक्ट के तहत् राज्य में उद्यानिक फसलों के उत्कृष्ट उत्पादन तकनीक का प्रदर्शन एवं प्रत्यक्षण के साथ–साथ उच्च गुणवत्तायुक्त पौधा रोपण सामग्री किसानों को मुहैय्या कराने के उद्देश्य से चण्डी (नालंदा) एवं देसरी (वैशाली) में क्रमशः सब्जी एवं फल के एक–एक सेन्टर ऑफ एक्सलेंस की स्थापना की गई है। यहाँ फल एवं सब्जी का उत्पादन एवं प्रशिक्षण कार्य किया जा रहा है ।

d`f"k foHkkx dk o"kZ 2017&18 esa 2644-74 djksM+ ¼NCchl vjc pkSokfyl djksM+ pkSgRrj yk[k½ :i;s vkofVr djus dk iLrko djrk gSA ftles Ldhe en esa 2207-12 djksM+ ¼ckbl vjc lkr djksM+ ckjg yk[k½ :i;s rFkk LFkkiuk ,oa izfrc) O;; en esa 437-62 djksM+ ¼pkj vjc lSrhl djksM+ cklB yk[k½ :i;s 'kkfey gSA

2016&17 esa fnlEcj ekg तक 2232 (दो हजार दो सौ बत्तीस) कि०मी० राष्ट्रीय उच्च पथों का राज्य निधि से, 2104 (दो हजार एक सौ चार) कि०मी० राज्य उच्च पथों का राष्ट्रीय सम विकास योजनान्तर्गत, 1072 (एक हजार बहत्तर) कि॰मी॰ राज्य उच्च पथों का ए॰डी॰बी॰ सम्पोषित योजनान्तर्गत एवं राज्य योजना से 845 कि॰मी॰ सड़क उन्नयन का कार्य पूर्ण किया गया। 13675 (तेरह हजार छः सौ पचहतर) कि॰मी॰ वृहद जिला पथों का चौड़ीकरण/उन्नयन/नवीकरण कार्य भी पूर्ण किया गया है।

श्री गुरू गोविन्द सिंह जी महाराज के 350वें प्रकाश उत्सव के अवसर पर पटना सिटी तथा पटना के अन्य इलाकों में विभाग द्वारा 97.33 करोड़ रूपये लागत से 36 परियोजनाओं का निर्माण कार्य, पटना साहिब रेलवे स्टेशन के पास 78.72 करोड़ रूपये की लागत से रेलवे उपरी पुल का निर्माण कार्य एवं गांधी मैदान से तख्त श्री हरमन्दिर तक पहुँचने हेतु अशोक राजपथ का सौन्दर्यीकरण कार्य पूर्ण किया गया जिससे राज्य सरकार की पूरे देश एवं विदेशों में अच्छी छवि बनी है।

महात्मा गांधी सेतु के पुनर्निर्माण हेतु एक समर्पित प्रमंडल महात्मा गांधी सेतु प्रमंडल का पुनर्गठन किया गया है।

भारत नेपाल सीमा सड़क परियोजना एवं 6–लेन गंगा ब्रीज (कच्ची दरगाह–बिदुपुर) में भू–अर्जन की कार्रवाई में अपेक्षित प्रगति लाते हुए कार्य प्रारंभ किया गया है।

विश्व बैंक सम्पोषित योजना (NHIIP) के अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या–104 (शिवहर–सीतामढ़ी–जयनगर–नरहरिया), N.H.-106 (बीरपुर–बिहपुर), N.H. 30ए (फतुहा–हरनौत–बाढ़) एवं N.H.–98 (अनीसाबाद–औरंगाबाद–हरिहरगंज) के कुल 509 कि0मी0 के उन्नयन का कार्य प्रगति पर है।

मुख्यमंत्री सेतु योजना के अन्तर्गत अबतक 3143.02 करोड़ (एकतीस अरब तैंतालिस करोड़ दो लाख) रूपये लागत की 5034 (पांच हजार चौंतीस) योजनाएँ पूर्ण हुई। ए०डी०बी० सम्पोषित योजनान्तर्गत सीवान–सीसवन (एस०एच०–89), बागी– बरबिगघा (एस०एच०–83) एवं सरैया–मोतीपुर (एस०एच०–86) का कार्य पूर्ण किया गया है।

संवेदकों के निबंधन का सरलीकरण किया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 में अबतक निबंधन से 72.00 लाख रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई है।

1584.2516 करोड़ (पन्द्रह अरब चौरासी करोड़ पच्चीस लाख सोलह हजार) रूपये की लागत पर 34 अदद् स्वीकृत आर॰ओ॰बी॰ के अन्तर्गत 28 आर॰ओ॰बी॰ का निर्माण कार्य पूर्ण तथा शेष 6 अदद् आर॰ओ॰बी॰ का निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में प्रगति पर है। भागलपुर जिला के सुलतानगंज एवं खगड़िया जिला के अगुवानी घाट के बीच गंगा नदी पर पुल, औरंगाबाद जिलान्तर्गत दाउदनगर एवं रोहतास जिलान्तर्गत नासरीगंज के बीच सोन नदी पर पुल, पटना शहर स्थित मीठापुर आर0ओ0बी0 से स्टेशन होते हुए चिरैयाटाँड़ उपरी पुल विस्तारीकरण कार्य, पटना शहर के बेली रोड पर ललित भवन से विद्युत भवन के बीच फ्लाई ओभर, पटना शहर के मीठापुर उपरी पुल से भिखारी ठाकुर (यारपुर) उपरी पुल (भाया आर० ब्लॉक जंक्शन) के बीच फ्लाई ओभर का निर्माण कार्य प्रगति में है।

गंगा पथ (दीघा से दीदारगंज) 3160 (एकतीस अरब साठ) करोड़ रूपये एवं पटना स्थित एम्स से दीघा तक एलिवेटेड कोरिडोर 1231 (बारह अरब एकतीस) करोड़ रूपये का निर्माण कार्य प्रगति में है।

भारत–नेपाल सीमा के समानान्तर पश्चिम चम्पारण जिला के राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या–28 बी॰ के गोबरहिया ग्राम (मदनपुर के निकट) से प्रारम्भ होकर पूर्वी चम्पारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया होते हुए किशनगंज जिला के पश्चिम बंगाल राज्य सीमा पर गलगलिया तक 2552.86 करोड़ (पचीस अरब बावन करोड़ छियासी लाख) रूपये की लागत पर स्वीकृत कुल 552.293 कि॰मी॰ पथांश का निर्माण कार्य प्रगति में है।

जन निजी भागीदारी के अन्तर्गत बख्तियारपुर–ताजपुर (समस्तीपुर) के बीच 1602.74 करोड़ (सोलह अरब दो करोड़ चौवहत्तर लाख) रूपये लागत से गंगा नदी पर पुल एवं पहुँच पथ का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

JICA सम्पोषित योजनान्तर्गत गया–हिसुआ–राजगीर–नालन्दा–बिहारशरीफ खण्ड (एन॰एच॰–82) का कार्य 1408.85 करोड़ (चौदह अरब आठ करोड़ पचासी लाख) रूपये की लागत से प्रगति पर है।

राज्य सरकार द्वारा ए0डी0बी0 सम्पोषित योजनान्तर्गत 6–लेन गंगा ब्रीज कच्ची दरगाह–बिदुपुर, 4988.40 करोड़ (उनचास अरब अठासी करोड़ चालीस लाख) रूपये की परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।

iFk fuekZ.k foHkkx dk o"kZ 2017&18 esa 6635-90 djksM+ ¼fN;klB vjc iSarhl djksM+ uCcs yk[k½ :i;s vkofVr djus dk izLrko djrk gw¡ ftlesa Ldhe en esa 5703-39 djksM+ ¼lrkou vjc rhu djksM+ mUrkyhl yk[k½ :i;s rFkk LFkkiuk ,oa izfrc) O;; en esa 932-51 djksM+ ¼uks vjc cRrhl djksM+ bD;kou yk[k½ :i;s 'kkfey gSaA

xzkeh.k dk;Z foHkkx

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत संरचना के विकास के लिए इन क्षेत्रों में उन्नत कोटि की बारहमासी सड़कों का निर्माण करने के लिए राज्य के 250 या उससे अधिक आबादी वाले सभी अनजुड़े बसावटों को सम्पर्कता प्रदान करने हेतु नये पथों के निर्माण के साथ–साथ पूर्व निर्मित ग्रामीण पथों के सुदृढ़ीकरण एवं अनुरक्षण कार्य हेतु राज्य सरकार दृढ़–संकल्पित है।

मुख्य मंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (अन्य राज्य योजना सहित) के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में माह दिसम्बर 2016 तक 1655.22 करोड़ (सोलह अरब पचपन करोड़ बाईस लाख) रूपये के व्यय पर 2314 (दो हजार तीन सौ चौदह) कि0मी0 सड़कों का कालीकरण कार्य किया गया है।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में राज्य में 4169 (चार हजार एक सौ उनहत्तर) कि0मी0 सड़कों का निर्माण कराया गया है।

ग्रामीण पथों के निर्माण में innovative technology का उपयोग किया जा रहा है। निर्मित सड़कों का नियमित तथा आउटपुट–आधारित अनुरक्षण करने हेतु बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति लागू किया गया है।

राज्य योजनाओं के लिए गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रक्रिया लागू की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में मुख्य मंत्री ग्राम सम्पर्क योजनान्तर्गत 7650 (सात हजार छः सौ पचास) कि0मी0 लम्बाई के ग्रामीण पथों का तथा प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत 7459 (सात हजार चार सौ उनसठ) कि0मी0 लम्बाई के ग्रामीण पथों का निर्माण कराने का लक्ष्य है।

xzkeh.k dk;Z foHkkx dk o"kZ 2017&18 esa 9518-05 djksM+ ¼iapkuos vjc vBkjg djksM+ ikap yk[k½ :i;s vkofVr djus dk izLrko djrk gw¡ ftlesa Ldhe en esa 8516-86 djksM+ ¼ipklh vjc lksyg djksM+ fN;klh yk[k½ :i;s rFkk LFkkiuk ,oa

ifrc) 0;; en e 1001-19 djkM ¼nl vjc ,d djkM mUuhl yk[k½ :i;s 'kkfey gA

t y l lk/ku foHkkx

जल संसाधन विभाग वृहत एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं को कार्यान्वित कर खेतों में पानी पहुँचाने एवं बाढ़ सुरक्षात्मक योजनाओं को पूरा कर बाढ़ से जान–माल को सुरक्षित करने हेतु दृढ़ संकल्पित है।

मार्च 2016 तक राज्य में 29.46 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता सृजित की गयी है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के अंत तक 1.18 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजन का लक्ष्य है।

बेहतर नहर संचालन के द्वारा वर्ष 2016–17 में 19.31 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ सिंचाई प्रदान की गई।

नदी जोड़ योजना के तहत कोशी–मेची लिंक योजना पर केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इस योजना के कार्यान्वयन से अररिया, किशनगंज, पूर्णिया एवं कटिहार जिला के 2.10 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध हो सकेगी।

सिंचाई एवम् बाढ़ प्रबंधन के तहत राज्य में 3746 (तीन हजार सात सौ छियालिस) कि०मी० एवं नेपाल भाग में 68 कि०मी० तटबंध का निर्माण कर 36.46 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सुरक्षित कर लिया गया है। भागलपुर जिला में चन्दन नदी के किनारे लगभग 101.23 कि०मी० में नए तटबंध का निर्माण कार्य प्रगति में है एवं महानन्दा तथा बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना के तहत नए तटबंध का निर्माण कार्य प्रस्तावित है।

t y l lk/ku foHkkx dk o"k 2017&18 e 3814-07 djkM ¼vM rhl vjc pkSng djkM lkr yk[k½ :i;s vkofVr dju dk iLrko djrk g ftle Ldhe en e 2959-18 djkM ¼murhl vjc mulB djkM vBkjg yk[k½ :i;s rFkk LFkkiuk ,o ifrc) 0;; en e 854-89 djkM ¼vkB vjc pkSou djkM uokls yk[k½ :i;s 'kkfey gA

y?k| ty l|lk/ku foHkkx

विभाग के अन्तर्गत 2000 हेक्टेयर तक कमाण्ड क्षेत्र की योजना का कार्यान्वयन किया जाता है, जिसमें मुख्यतः परम्परागत सतही सिंचाई योजना (आहर–पईन/तालाब), भूगर्भ जल आधारित नलकूप योजना तथा वीयर एवं उद्वह सिंचाई योजनाएँ शामिल है।

भूगर्भ जल सिंचाई योजना अंतर्गत नल कूप सिंचाई योजना के तहत 10242 नलकूप अधिष्ठापित है। इस वित्तीय वर्ष में कुल 1160 अतिरिक्त नलकूपों को चालू कराया गया है।

बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष– 2016–17 में 6281 निजी नलकूप किसानों द्वारा अधिष्ठापित किया गया है, जिससे 16100 हे0 सिंचाई क्षमता सृजित हुई है।

भूगर्भ जलमापी योजना अंतर्गत राज्य के प्रत्येक प्रखण्ड एवं प्रत्येक जिला मुख्यालय में अत्याधुनिक तकनीक (Telemetry System) आधारित 571 औटोमेटिक डिजिटल वाटर लेवल रेकॉर्डर की अधिष्ठापना की जा रही है, जिससे प्रत्येक 3 घंटे पर भूगर्भ जलस्तर का आंकड़ा प्राप्त किया जा सकेगा। अब तक 146 टेलीमेटरी अधिष्ठापित की जा चुकी है।

lrgh flpkbl ;ktuk&

(i) आर0आई0डी0एफ0 (सतही सिंचाई+नलकूप):– इस योजना के तहत् कुल 138 योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, जिसमें 32 योजनाएं पूर्ण हुई हैं, इससे 7,463 हे0 क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ है।

(ii) राज्य योजना (सतही सिंचाई + नलकूप) :– इस योजना के तहत् कुल 217 योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, जिसमें 62 योजना पूर्ण हो गयी है तथा 6,045 हे0 सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ है।

(iii) ए0आई0बी0पी0:–(त्वरित सिंचाई लाभ योजना):–इस वित्तीय वर्ष में बिहार के 04 जिले भभुआ, रोहतास, नवादा एवं सीतामढ़ी में कुल 47 अदद नई योजनाओं की स्वीकृति (ए0आई0बी0पी0 के अन्तर्गत) केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त हुई है। इन्हे वर्ष 2017–18 में पूर्ण कराने का लक्ष्य है। इनके पूर्ण होने पर कुल 18,462 हे0 क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में सतही सिंचाई योजना अंतर्गत योजनाओं का क्रियान्वयन होने से 19207 हे0 सिंचाई क्षमता का सृजन होगा।

नलकूप सिंचाई योजना अन्तर्गत बंद 1680 नलकूपों को चालू कराये जाने का लक्ष्य है। इसके क्रियान्वयन से 89,467 हे0 सिंचाई क्षमता का पुनर्स्थापन होगा।

बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना अन्तर्गत 10,000 अदद् अनुदान आधारित निजी नलकूप अधिष्ठापित करने का लक्ष्य है। इसके अधिष्ठापन से 30,000 हे0 सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि होगी।

आर0आई0डी0एफ0 (RIDF) अंतर्गत सतही सिंचाई योजना क्रियान्वयन से 13,853 हे0 क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का सृजन हो सकेगा।

नलकूप सिंचाई योजना के क्रियान्वयन से 116 नलकूपों का जीर्णोद्धार होगा तथा 7,000 हे0 क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का पुनर्स्थापन होगा।

केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अन्तर्गत 47 योजनाओं के पूर्ण होने पर 18,462 हे0 सिंचाई क्षमता का सृजन होगा।

y?kq ty lalk/ku foHkkx dk o"kZ 2017&18 esa 606-82 djksM+ ¼N% vjc N% djksM+ cjklh yk[k½ :i;s vkofVr djus dk iLrko djrk gq ftlesa Ldhe en esa 395-30 djksM+ ¼rhu vjc ipkuos djksM+ rhl yk[k½ :i;s rFkk LFkkiuk ,oa ifrc) O;; en esa 211-52 djksM+ ¼nks vjc X;kjg djksM+ ckou yk[k½ :i;s 'kkfey gSA

vkink izca/ku foHkkx

विभाग का मुख्य कार्य राज्य में आने वाले प्राकृतिक एवं गैर प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम को कम करना एवं उनसे होने वाली क्षति को न्यूनीकरण करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना है। साथ ही विभिन्न प्रकार के आपदाओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन के संस्थागत ढ़ाँचे को सुदृढ़ करना तथा आपदा की स्थिति में बचाव और राहत वितरण कार्य तत्काल और पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित करना है।

सेन्डई फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के परिप्रेक्ष्य में 15 वर्षीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप 2015–2030, तैयार करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप (DRR Roadmap) के कार्यान्वयन हेतु Roadmap Implementation Support Unit(RISU) का गठन किया गया है, साथ ही Asian Disaster Preparedness Centre(ADPC), Bangkok, Thailand के साथ आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप के क्रियान्वयन हेतु MoU किया गया है।

बाढ़ आपदा से राहत एवं बचाव हेतु पटना, भोजपुर, सुपौल, गोपालगंज एवं मुजफ्फरपुर जिले के दियारा क्षेत्रों के पंचायतों में प्रति पंचायत 50 व्यक्तियों का चयन कर बाढ़ राहत एवं बचाव कार्यों में अबतक कुल 9500 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। राज्य के प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं थाना स्तर पर Quick Medical Response Team के प्रशिक्षण हेतु स्वास्थ्य विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग के बीच MoU किया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा QMRT का प्रशिक्षण प्रारम्भ किया जा चुका है।

भूकम्प से बचाव एवं जागरूकता हेतु सचिवालय भवनों में मॉकड्रिल का आयोजन किया गया है। वर्ष 2016 में बाढ़ के दौरान प्रभावित 31 जिलों में बचाव एवं राहत, आबादी निष्क्रमण तथा आवगमन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 4573 देशी नावों/ मोटरबोटों का परिचालन किया गया। आबादी के निष्क्रमण के दौरान नावों/मोटरबोटों, राहत शिविरों एवं अस्पतालों में जन्म लेनेवाले प्रत्येक नवजात बालक के लिए 10,000 रूपये एवं प्रत्येक नवजात बालिका के लिए 15,000 रूपये 'मुख्यमंत्री राहत कोष' से भुगतान किया गया।

वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बाढ़ पीड़ितों के बीच नकद अनुदान, खाद्यान्न एवं वस्त्र तथा वर्त्तन के निमित बाढ़ प्रवण जिलों को 930 करोड़ रूपये कृषि इनपुट अनुदान के लिए 70 करोड़ रूपये एवं अनुग्रह अनुदान मद में 11.36 करोड़ रूपये तथा क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मति/पुनर्निर्माण के लिए 7.95 करोड रूपये उपलब्ध कराये गए।

बाढ़ से मरने वाले 254 व्यक्यिों के निकटतम आश्रितों को 4 (चार) लाख रूपये की दर से अनुग्रह अनुदान का भुगतान 24 घंटे के अन्दर करने की व्यवस्था की गई।

वर्ष 2016 में राज्य के विभिन्न जिलों में अग्निकांड से प्रभावित व्यक्यिों को निर्धारित सहाय्य मानदर के अनुरूप वस्त्र की क्षति हेतु 1800 रूपये, बर्त्तन घरेलू सामान की क्षति हेतु 2,000 रूपये, नकद अनुदान हेतु 3,000 रूपये एवं मुफ्त खाद्यान्न के बदले 3,000 रूपये प्रति परिवार देने की व्यवस्था की गई। अग्निकांड से मरने वाले व्यक्तियों के निकटतम आश्रितों को 4 (चार) लाख रूपये की दर से अनुग्रह अनुदान का भुगतान 24 घंटे के अन्दर करने की व्यवस्था की गई।

गरीब वर्गों को शीतलहर के प्रकोप से बचाने हेतु राज्य में शीतलहर के दौरान कुल 3,976 क्वीं0 लकड़ी का अलाव जलाया गया एवं 3,020 कम्बलों का वितरण किया गया।

स्थानीय प्रकृति की आपदाओं– नौका दुर्घटना, सड़क दुर्घटना, वज्रपात, पानी में डूबने इत्यादि के कारण मृत व्यक्तियों के आश्रितों को 4 (चार) लाख रूपये की दर से अनुग्रह अनुदान के भुगतान की व्यवस्था की जाती है।

राज्य के 28 जिले बाढ़ प्रवण होने एवं 33 जिले भूकम्प के सर्वाधिक संवेदनशील जोन V, IV एवं III में आने के कारण आपदाओं के दौरान बचाव एवं राहत प्रदान करने तथा आवश्यक सेवाओं को बहाल करने हेतु 24 जिलों में सशक्त नागरिक सुरक्षा इकाइयों का गठन एवं साझेदारों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई।

vkink izcU/ku foHkkx dk o"kZ 2017&18 e 552-40 djksM ¼ikp vjc ckou djksM pkyhl yk[k½ :i;s vkofVr dju dk iLrko djrk gS ftlesa Ldhe en e 51-25 djksM ¼bD;kou djksM iPphl yk[k½ :i;s rFkk LFkkiuk ,oa ifrc) 0;; en e 501-15 djksM ¼ikp vjc ,d djksM iUnzg yk[k½ :i;s 'kkfey gSA

i'k ,oa eRL; lalk/ku foHkkx

वित्तीय वर्ष 2016–17 में ''बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक–2016'' प्रख्यापित/ अधिसूचित किया गया है।

300 नये प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालयों की स्थापना कर निःशुल्क प्राणरक्षक पशु दवा, अत्याधुनिक मशीन एवं उपस्कर उपलब्ध करा कर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में सुलभ पशु चिकित्सा उपलब्ध करायी जा रही है।

1.56 करोड़ रूपये की लागत पर फ्रोजेन सीमेन बैंक–सह–बुल स्टेशन, पटना का सुदृढ़ीकरण तथा कृत्रिम गर्भाधान कार्य के सफल क्रियान्वयन हेतु बी०एल०डी०ए०, पटना को राशि उपलब्ध करायी गयी है।

10 चयनित गोशालाओं को (अधिकतम 20 लाख रू0 प्रति गोशाला) मॉडल गोशाला के रूप में विकसित करने हेतु अनुदान की स्वीकृति दी गयी।

समेकित मुर्गी विकास योजना अन्तर्गत राज्य में कुक्कुट के विकास हेतु लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना की जा रही है। इवियन इन्फ्लूएंजा रोग के प्रभावी नियत्रंण हेतु सर्वेक्षण का कार्य,

समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना के तहत, बकरीपालन–सह–प्रजनन प्रक्षेत्र, मरंगा पूर्णियाँ का सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जा रहा है।

51.5198 लाख पशुओं को एफ०एम०डी० टीकाकरण से टीकाकृत किया गया तथा एच०एस०बी०क्यू० पशु टीका करण के दौरान कुल 80 लाख पशुओं को टीकाकृत किया गया। 3.66 करोड रूपये की लागत पर PPR-CP के तहत बकरियों एवं भेड़ों का टीकाकरण किया गया।

1.74 करोड़ रूपये की लागत पर एकीकृत न्यादर्श सर्वेक्षण की योजना एवं 4.31 करोड़ रूपये की लागत पर राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम की स्वीकृति दी गयी है।

प्रशिक्षण एवं प्रसार की योजना अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के 2067 सदस्यों सहित कुल 4331 दुग्ध उत्पादकों/समिति के सदस्यों को राज्य के अन्दर स्थित लब्ध प्रतिष्ठित संस्थानों में गव्य विज्ञान तकनीक से संबंधित प्रशिक्षण उपलब्ध कराने हेतु कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

एन०सी०डी०सी० से प्राप्त ऋण की राशि से कम्फेड पटना द्वारा दुग्ध संघों/डेयरी इकाईयों में दुग्ध संयंत्र/पशु आहार संयंत्र/दुग्ध पाउडर संयंत्र/आईस्क्रीम संयंत्र स्थापित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत 1750 इकाई स्वचालित दुग्ध संग्रहण केन्द्र की स्थापना की जा रही है।

मत्स्य प्रक्षेत्र के लिए सेटेलाईट के माध्यम से भौगोलिक सूचना तंत्र एवं डाटाबेस के सुदृढीकरण की योजना है।

केन्द्रीय योजनागत योजना के तहत ''नीली क्रांति– समेकित मत्स्य विकास के प्रबंधन'' की योजना कार्यान्वित की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में पशुचिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य की योजना के तहत 315 प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालयों की स्थापना कर पशु चिकित्सा सेवा को पशुपालकों के लिए सुलभ बनाने, समेकित मुर्गी विकास योजना सम्पूर्ण राज्य में क्रियान्वयन तथा पी०पी० मोड पर निजी क्षेत्रों में वृहत्त पैमाने पर ब्रायलर/लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना करने, समेकित बकरी विकास योजना को सम्पूर्ण राज्य में क्रियान्वयन एवं मरंगा पूर्णियाँ में स्थापित बकरीपालन–सह–प्रजनन

प्रक्षेत्र का सुदृढ़ीकरण तथा निजी क्षेत्रों में पी०पी० मोड पर बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना करने की योजना है।

राज्य में दुग्ध व्यवसाय से जुड़े हुये कृषकों, बेरोजगार युवको–युवतियों, कमजोर वर्ग के मजदूर को ऋण–सह–अनुदान पर डेयरी फार्मिग के माध्यम से सशक्तिकरण तथा उनके लिए रोजगार का अतिरिक्त अवसर का सृजन करने, वर्त्तमान डेयरी प्लांट की क्षमता का विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण करने, मार्केटिंग नेटवर्क को विस्तारित कर शेष बचे हुये शहरी क्षेत्रों तथा छोटे–छोटे बाजार तक ले जाने, नये आधुनिक डेयरी प्लांट स्थापित करने की योजना है।

राज्य में मत्स्य विकास हेतु मुख्यमंत्री मत्स्य विकास परियोजनाओं का कार्यान्वयन करने, मत्स्य पालकों को स्वरोजगार हेतु मत्स्य तकनीक से प्रशिक्षित करने, महिला सशक्तिकरण के अन्तर्गत मत्स्य पालन हेतु प्रेरित कर आत्मनिर्भर बनाने, तेजी से विकास करने वाले मत्स्य प्रजाति का समावेश करने, मत्स्य बीज एवं मत्स्य अंगुलिकाओं के उत्पादन में वृद्धि करने, राज्य में पंगेशियस मछली के विकास करने, अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों को मत्स्य पालन हेतु प्रेरित करने, मत्स्य हेचरी का निर्माण, नये तालाबों का निर्माण, आर्द्र भूमि का विकास, आर्द्र भूमि में अंगुलिकाओं का संचय, केज कल्चर, मत्स्य बीज हेचरी का अधिष्ठापन, फिश–फीड मील का निर्माण करने की योजना है।

i'kq ,o eRL; lalk/ku foHkkx dk o"k 2017&18 e 581-12 djkM ¼ikp vjc ,dklh djkM ckjg yk[k½ :i; vkofVr dju dk iLrko djrk g ftle Ldhe en e 332-50 djkM ¼rhu vjc cRrhl djkM ipkl yk[k½ :i; rFkk LFkkiuk ,o ifrc) 0;; en e 248-62 djkM ¼nk vjc vMrkfyl djkM ckl yk[k½ :i; 'kkfey gA

lgdkfjrk foHkkx

प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में कृषकों को अगली फसल लगाने के निमित्त प्रोत्साहित करने एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्वेश्य से राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कार्यान्वित की जा रही है। खरीफ वर्ष 2016–17 मौसम में कुल 14,63,118 (चौदह लाख तिरसठ हजार एक सौ अठारह) किसानों का फसल बीमा किया गया है।

अल्पकालीन सहकारी कृषि ऋण वितरण के तहत वर्ष 2016–17 में खरीफ मौसम के लिए 278.59 करोड़ रूपये एवं रब्बी ऋण के रूप में 17.19 करोड़ रूपये दिनांक 26.12.2016 तक वितरित किया गया है।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत वर्ष 2016–17 में दिनांक 26.12.2016 तक 5,368 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत किया गया है।

राज्य में खरीफ मौसम में धान अधिप्राप्ति हेतु धान उत्पादन करने वाले किसानों के लिए 150 क्विन्टल एवं दूसरे की भूमि पर धान उत्पादन करने वाले किसानों के लिए 50 क्विन्टल अधिकतम सीमा निर्धारित किया गया है। गुणवत्तापूर्ण अधिप्राप्ति के लिए कृषकों का ऑन–लाईन रजिस्ट्रेशन, कृषकों के भुगतान के लिए RTGS/NEFT की व्यवस्था एवं दैनिक अनुश्रवण के लिए मोबाईल एप तकनीक का उपयोग किया जा रहा है।

कृषि रोड मैप के अन्तर्गत 2016–17 में 90 गोदामों का निर्माण पूर्ण हो चुका है जिससे 21,700 मे॰टन क्षमता की वृद्धि हुई है। 27 चावल मिल–सह–गैसीफायर का भी निर्माण हो चुका है, 144 का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

मुख्यमंत्री नवाचार योजना के अन्तर्गत राज्य में सब्जी के उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन हेतु सहकारी समितियों के गठन की कार्रवाई की जा रही है। 27 प्रखण्ड स्तरीय प्राथमिक सब्जी कृषक सहयोग समितियाँ का निबंधन किया जा चुका है। सहकारी समितियों में 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित है एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा/ अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए प्रतिनिधित्व आरक्षित किया गया है।

lgdkfjrk foHkkx dk o"kZ 2017&18 esa 750-45 djksM+ ¼lkr vjc ipkl djksM+ iSrkyhl yk[k½ :i;s vkoafVr djus dk iLrko djrk gS ftlesa Ldhe en esa 639-70 djksM+ ¼N% vjc mUpkyhl djksM+ lRrj yk[k½ :i;s rFkk LFkkiuk ,oa iafrc) 0;; en esa 110-75 djksM+ ¼ ,d vjc nl djksM+ ipgRrj yk[k½ :i;s 'kkfey gSA

i;kZoj.k ,oa ou foHkkx

राज्य में सम्पूर्ण भू भाग के वर्तमान 12.88 % वृक्षाच्छादन को वर्ष 2017 तक 15 प्रतिशत करने हेतु सरकार द्वारा हरियाली मिशन नामक एक महत्वांकाक्षी योजना प्रारंभ की गई है।

मुख्यमंत्री शहरी वानिकी योजना में पटना तथा अन्य प्रमुख शहरों में आगम निर्गम पथ तट वनरोपण एवं ''हर परिसर हरा परिसर'' योजना अंतर्गत वृक्षारोपण किया जायेगा।

मुख्यमंत्री निजी पौधशाला (पॉपलर) के अंतर्गत पौधशालाओं से कुल 108.70 लाख पौधे एवं मुख्यमंत्री निजी पौधशाला के अंतर्गत अन्य प्रजाति के 112.20 लाख पौधे किसानों द्वारा उगाने का लक्ष्य है। 50.12 लाख अन्य प्रजाति के पौधे उगाने का लक्ष्य भी रखा गया है।

i;kZoj.k ,o ou foHkkx dk o"kZ 2017&18 esa 318-97 djksM+ ¼rhu vjc vBkjg djksM+ lUrkuos yk[k½ :i;s vkofVr djus dk izLrko djrk gw¡ ftlesa Ldhe en esa 178-46 djksM+ ¼,d vjc vBRrj djksM+ fN;kfyl yk[k½ :i;s rFkk LFkkiuk ,oa izfrc) O;; en esa 140-50 djksM+ ¼,d vjc pkyhl djksM+ ipkl yk[k½ :i;s 'kkfey gSA

f'k{kk foHkkx

राज्य सरकार ने शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। साथ ही बहुआयामी रणनीति अपनाते हुए सभी वंचित वर्गों को स्कूल पहुँचाने, नामांकन में वृद्धि लाने, नये प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने, कक्षाओं की संख्या बढ़ाने, शिक्षकों की उपलब्धता एवं उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में उत्क्रमित करने एवं लड़के–लड़कियों के बीच शिक्षा की खाई को पाटने के लिए अनेक नवाचारी कदम उठाये गये हैं। इन सभी प्रयासों का परिणाम है कि स्कूलों से वंचित बच्चों की संख्या में निरंतर कमी आयी है और स्कूलों में विशेषकर लड़कियों की उपस्थिति बढ़ी है। 6–14 आयुवर्ग के विद्यालय से बाहर के बच्चों को विद्यालय लाने में राज्य द्वारा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है। वर्तमान में लगभग 1 प्रतिशत से कम बच्चे ही विद्यालय से बाहर रह गये है।

सर्व शिक्षा अभियान के तहत अब तक 21,419 प्राथमिक विद्यालयों के लक्ष्य के विरूद्ध 21,252 प्राथमिक विद्यालय खोले जा चुके है, 19,604 प्राथमिक विद्यालयों को मध्य विद्यालयों में उत्क्रमित किया गया है, 12,473 नये प्राथमिक विद्यालय भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। मुख्यमंत्री बालक एवं बालिका साईकिल योजना के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में 9वीं कक्षा में नामांकित 14 लाख 1 हजार 292 छात्र–छात्राओं को साईकिल के लिये राशि उपलब्ध करायी गयी है। माध्यमिक शिक्षा अंतर्गत वर्ग 9 से 12 तक में नामांकित 12 लाख 50 हजार 315 छात्राओं को पोशाक हेतु राशि उपलब्ध करायी गयी है।

राज्य सरकार द्वारा राज्य के 5 हजार 97 माध्यमिक–उच्च माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायत में एक–एक उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है जिसके अन्तर्गत अब तक 2 हजार 158 मध्य विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित किया गया है। विश्व बैंक सम्पोषित Enhancing Teacher Effectiveness in Bihar Programme के अंतर्गत 33 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के निर्माण एवं 250 प्रशिक्षण केन्द्रों पर ICT (Information and Communicaton Technology) की व्यवस्था की गयी है।

बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 में संशोधन करते हुए 3 नये विश्वविद्यालय पूर्णियां विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय एवं मुंगेर विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है। राज्य में निजी विश्वविद्यालय खोलने हेतु 11 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिसमें से 07 के साथ LOI निर्गत किया जा चुका है तथा शेष 04 प्रस्तावों पर कार्रवाई की जा रही है।

राज्य सरकार के सुशासन के कार्यक्रम 2015–2020 के अंतर्गत विकसित बिहार के सात निश्चय के अंतर्गत 12वीं कक्षा उत्तीर्ण ऐसे विद्यार्थी जो आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो जाते हैं, को आर्थिक सहायता पहुॅचाने के उद्देश्य से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 2 अक्टूबर, 2016 से कार्यान्वित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में 5 लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाना है।

शिक्षा विभाग के माध्यम से नशामुक्ति के पक्ष में जोरदार वातावरण निर्माण किया जा रहा है। इस क्रम में बिहार के आम लोगों के समर्थन से दिनांक 21.01.2017 को राज्यव्यापी मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया जिसमें 3 करोड़ से अधिक लोगों ने लगभग 12,760 किलोमीटर की मानव श्रृंखला बनायी और नशामुक्ति के पक्ष में विराट जन चेतना को प्रकट किया।

महात्मा गांधी के चम्पारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वर्ष 2017 में बिहार सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे।

नियोजित शिक्षकों के लिए नई सेवा शर्त का निर्धारण किया जायेगा। भूमिहीन एवं भवनहीन प्राथमिक विद्यालयों को पोषक क्षेत्र के अन्य भवनयुक्त विद्यालयों के साथ इकाई सहित सामंजित किया जायेगा। बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के तहत निर्धारित छात्र एवं शिक्षक अनुपात के सापेक्ष नियोजन इकाई अन्तर्गत शिक्षकों का सामंजन करते हुए पदस्थापन किया जायेगा।

f'k{kk foHkkx dk o"k 2017&18 e 25251-39 djkM ¼nk lk ckou vjc bD;kou djkM mUrkyh l yk[k½ :i;s vkofVr dju dk iLrko djrk g ft le Ldhe en

e: 14217-89 djksM+ ¼,d lkS c;kyhl vjc lrjg djksM+ uokWlh yk[k½ :i;s rFkk LFkkiuk ,oa ifrc) 0;; en e: 11033-50 djksM+ ¼,d lkS nl vjc rSrhl djksM+ ipkl yk[k½ :i;s 'kkfey gSA

<u>foKku ,oa izkoSf/kdh foHkkx</u>

राज्य सरकार का निश्चय ''अवसर बढ़े, आगे पढ़ें'' के तहत प्रत्येक जिला में तकनीकी संस्थान स्थापित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है जिससे राज्य में तकनीकी रूप से दक्ष मानव संसाधन उपलब्ध हो सकेगा। सरकार के 7 निश्चय अन्तर्गत राज्य के सभी जिलों में एक–एक अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना की योजना है।

एन॰आई॰टी॰, पटना के लिए मेगा औद्योगिक पार्क के अन्तर्गत मौजा सिकन्दरपुर में चिन्हित 125 (एक सौ पच्चीस) एकड़ भूमि के आवंटन हेतु बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना को राशि उपलब्ध कराया गया तथा भूमि का दखल–कब्जा एन॰आई॰टी॰, पटना को दिलाया गया।

बिहार स्टेट इलेक्ट्रोनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि॰ के सहयोग से बी॰सी॰ई॰ (बिहार कॉलेज ऑफ इंजिनीयरिंग) भागलपुर के परिसर में उपलब्ध 50 एकड़ भूमि पर आई॰आई॰आई॰टी॰ (इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी) की स्थापना की गई।

केन्द्र सरकार की सहायता से बोधगया में भारत सरकार के उपक्रम नेशनल काउन्सिल ऑफ साईंस म्यूजियम के माध्यम से सब रीजनल साईंस सेन्टर के निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा 2. 50 करोड़ रूपये नेशनल काउन्सिल ऑफ साईंस म्यूजियम, कोलकाता को उपलब्ध करायी गई है।

पटना में प्रस्तावित डा॰ ए॰ पी॰ जे॰ अब्दुल कलाम साइंस सिटी तथा दरभंगा में तारामंडल सह विज्ञान संग्रहालय का निर्माण एवं विकास कार्य किया जा रहा है।

इंदिरा गांधी विज्ञान परिसर–तारामंडल में नया प्रोजेक्शन सिस्टम की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन किया जाना है।

foKku ,oa izkoSf/kdh foHkkx dk o"kZ 2017&18 esa 213-45 djksM+ ¼nks vjc rsjg djksM+ iSarkyhl yk[k½ :i;s vkofVr djus dk izLrko djrk gw¡ ftlesa LdhEk en esa

135-45 djkM ¼,d vjc iSrhl djkM iSrkyhl yk[k½ :i; rFkk LFkkiuk ,o ifrc) 0;; en e 78-00 djkM ¼vBRrj djkM½ :i; 'kkfey gA

LokLF; foHkkx

राज्य सरकार, जनता को बेहतर एवं गुणवत्तायुक्त विभिन्न प्रकार की चिकित्सीय सुविधाएँ सुगमतापूर्वक समाज के अंतिम पायदान तक पहुँचाने के लिए सतत् प्रयत्नशील है। राज्य में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करते हुए विशिष्ट एवं आधुनिक चिकित्सा प्रणाली की स्थापना की कार्रवाई की जा रही है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत् जिला अस्पतालों एवं FRU (First Referral Unit) को क्रियाशील करने के निमित्त विशेषज्ञ चिकित्सकों का संविदागत नियोजन किया है। बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत DEIC (District Early Intervention Centre) के तहत् कुल 12 प्रकार के पदों पर नियोजन किया जा रहा है।

''आशा'' कार्यकर्त्ताओं को बेहतर कार्य संपादन के लिए Mobile CUG Sim उपलब्ध कराया गया है जो बुनियादी स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं को आम लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

प्रजनन दर में लगातार गिरावट आ रही है, प्रजनन दर 3.4 (SRS 2013) से घटकर SRS 2014 के अनुसार 3.2 हो गया है।

पूर्ण प्रतिरक्षण (Immunization) का आच्छादन जो गत वर्ष 82 प्रतिशत था, वह बढ़कर वर्तमान में 84 प्रतिशत हो गया है। पोलियो से दोहरी सुरक्षा प्रदान करने हेतु राज्य में Inactivated Poliovirus Vaccine (IPV की सूई) का शुभारम्भ किया गया है। नियमित टीकाकरण को और बेहतर करने के उद्देश्य से राज्य के 17 जिलों में एक नया टीका PCV (Pneumococcal Conjugate Vaccine) का वर्ष 2017 में शुभारंभ कर टीकाकरण तालिका में शामिल किये जाने की योजना है।

कृमि मुक्ति कार्यक्रम अन्तर्गत वर्ष 2016 में 1–19 वर्षों के कुल 3,46,44,288 (तीन करोड़ छियालिस लाख चवालिस हजार दो सौ अठासी) बच्चों को Albendazole दवा खिलायी गयी एवं वर्ष 2017 में पुनः कृमि मुक्ति दिवस आयोजित कर 4,77,24,590 (चार करोड़ सतहत्तर लाख चौबीस हजार पांच सौ नब्बे) बच्चों को दवा खिलायी गयी ।

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में 31 दिसम्बर, 2016 तक 0 से 18 वर्ष के 1,10,37,842 (एक करोड़ दस लाख सैंतीस हजार आठ सौ बयालिस) बच्चों की स्वास्थ्य–जाँच कर स्वास्थ्य–कार्ड वितरित किया गया।

पूर्ण शराबबंदी कार्यक्रम के तहत् सभी जिला मुख्यालयों में अवस्थित जिला अस्पतालों एवं 3 चिकित्सा महाविद्यालयों में एक–एक वातानुकूलित नशा मुक्ति केंद्र (कुल 39 केन्द्र) स्थापित करते हुए इन ''नशा मुक्ति केन्द्रों'' में दिनांक 24 जनवरी, 2017 तक 9276 मरीजों को उपचारित किया गया है।

चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में पूंजी की आवश्यकता को देखते हुए लोक निजी भागीदारी योजना के तहत ग्लोबल हेल्थ प्रा0 लि0 (मेदान्ता), गुड़गाँव द्वारा पटना के जयप्रभा अस्पताल परिसर में ''जयप्रभा मेदान्ता अतिविशिष्ट अस्पताल'' स्थापित किया जा रहा है।

जननी एवं शिशु के स्वास्थ्यवर्द्धन हेतु राज्य के छः चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों तथा दो सदर अस्पतालों मुजफ्फरपुर एवं सीतामढ़ी में 104 करोड़ रूपये की लागत से 100 शैय्या वाले MCH Wing के निर्माण की स्वीकृति दी गई है।

इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना में गुर्दा प्रत्यारोपण की सुविधा फरवरी 2016 से प्रारम्भ की गई है। ई0एस0आई0सी0 मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, बिहटा के अधिग्रहण करने हेतु राज्य सरकार द्वारा MoU किया गया है। इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना में 120 करोड़ रूपये की लागत पर स्टेट कैंसर सेंटर की स्थापना की जा रही है। सभी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में आधुनिक सी0टी0 स्कैन एवं एम0आर0आई0 अधिष्ठापन का निर्णय लिया गया है।

LokLF; foHkkx dk o"k 2017&18 e 7001-52 djkM ¼lRrj vjc ,d djkM ckou yk[k½ :i; vkofVr dju dk iLrko djrk g ftle Ldhe en e 3562-42 djkM ¼irhl vjc cklB djkM c;kyhl yk[k½ :i; rFkk LFkkiuk ,o ifrc) O;; en e 3439-10 djkM ¼pkrhl vjc mUrkyhl djkM nl yk[k½ :i; 'kkfey gA

ykd LokLF; vfHk;=.k foHkkx

^e[; e=h pkikdy ;ktuk* vrxr बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति पंचायत पाँच चापाकल तथा शहरी क्षेत्रों में नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत

प्रति वार्ड– 3, नगर परिषद् क्षेत्र के अन्तर्गत प्रति वार्ड– 2 तथा नगर पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत प्रति वार्ड– 1 की दर से नये चापाकलों का निर्माण एवं बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर प्रति सदस्य 100 की दर से चापाकलों के निर्माण हेतु विगत वर्षों में स्वीकृत योजना अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक 11,280 चापाकल लगाए गये हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण बसावटों में 1164 चापाकल लगाए गये है।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत 234 ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं पर कार्य चल रहा है, जिसमें से 95 ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनायें पूर्ण कर चालू की गई है।

मिनी पाईप जलापूर्ति योजनान्तर्गत प्रत्येक प्रखण्ड के एक अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य टोले में सौर उर्जा चालित पम्प के साथ 189 जलापूर्ति योजनाएँ चालू की गई है एवं 171 का कार्य प्रगति में है तथा फ्लोराईड एवं लौह प्रभावित क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हेतु सौर उर्जा चालित पम्प एवं ट्रिटमेंट यूनिट के साथ 162 योजनाएं पूर्ण की गई है एवं 185 का कार्य प्रगति में है।

सौर उर्जा चालित ट्यूबवेल पम्प (सोलर पम्प एवं इण्डिया मार्क–II) के साथ मिनी जलापूर्ति योजनान्तर्गत 67 जलापूर्ति योजनाएँ चालू की गई हैं एवं 130 का कार्य प्रगति में है।

आर्सेनिक प्रभावित बसावटों में 125 मी0 गहरे नलकूप के निर्माण एवं पाँच वर्षों तक परिचालन एवं रख–रखाव हेतु अब तक 30 नलकूपों का निर्माण किया गया है।

बेगुसराय जिला के मटिहानी, बरौनी एवं बेगुसराय प्रखण्डों के आर्सेनिक प्रभावित 111 ग्रामों/बसावटों के लिए 191.78 करोड़ रूपये की राशि से सतही जल (गंगा नदी) आधारित बहुग्रामीय पाईप जलापूर्ति योजना का कार्यान्वयन प्रारंभ किया गया है।

विश्व बैंक एवं भारत सरकार की सहायता से राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अन्तर्गत बेगुसराय जिला के चेरिया बरियारपुर प्रखण्ड में सतही जल आधारित चेरिया बहुग्रामीय पाईप जलापूर्ति योजना प्रारम्भ की गई तथा नवादा जिला के रजौली प्रखण्ड के फ्लोराईड से प्रभावित 90 ग्रामों/टोलों में फुलवरिया बाँध के सतही जल पर आधारित रजौली बहुग्रामीय पाईप जलापूर्ति योजना का कार्य प्रारंभ किया गया है।

नालंदा जिला के राजगीर एवं सिलाव प्रखण्ड के फ्लोराईड प्रभावित 38 ग्रामों/टोलों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हेतु सिलाव बहुग्रामीय पाईप जलापूर्ति योजना का कार्य प्रगति में है।

पश्चिम चम्पारण जिला के चनपटिया एवं मंझौली प्रखण्ड के 13 टोलों में भू–गर्भीय जल आधारित घोघा घाट बहुग्रामीय पाईप जलापूर्ति योजना का कार्य प्रगति में है।

ykd LokLFk vfHk;=.k foHkkx dk o"k 2017&18 e 2434-41 djkM ¼pkchl vjc pkrhl djkM bdrkyhl yk[k :i;s vkofVr dju dk iLrko djrk g ftle Ldhe en e 2009-89 djkM ¼chl vjc uk djkM uokl h yk[k :i;s rFkk LFkkiuk ,o ifrc) 0;; en e 424-52 djkM ¼pkj vjc pkchl djkM ckou yk[k :i;s 'kkfey gA

Åtk foHkkx

अक्टूबर, 2015 में राज्य में पीक लोड पर 3459 मेगावाट की विद्युत आपूर्ति होती थी जो अक्टूबर, 2016 में बढ़कर 3769 मेगावाट हो गयी है।

काँटी थर्मल पावर स्टेशन की दो नई इकाईयों (2x195 मेगावाट) के विस्तारीकरण का निर्माण कार्य जारी है जिसे मार्च 2017 तक चालू करने का लक्ष्य है।

बरौनी ताप विद्युत प्रतिष्ठान के क्षमता विस्तार परियोजना के तहत 250 मेगावाट की दो नयी इकाईयों (कुल 500 मेगावाट) का कार्य निर्माणाधीन है, जिन्हे माह नवम्बर 2017 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

नवीनगर स्टेज–1 में 660 मेगावाट की तीन इकाईयों का निर्माण कार्य जारी है। चौसा (बक्सर) में 660 मेगावाट की दो इकाईयों के पावर प्रोजेक्ट के निर्माण हेतु सतलज जल विद्युत निगम के साथ समझौता हुआ है।

बाँका में 106 अल्ट्रामेगा पावर प्रोजेक्ट (लगभग 4000 मेगावाट) की स्थापना हेतु प्रस्ताव भेजा गया है।

वर्त्तमान में राज्य में ग्रिड सबस्टेशनों की संख्या 106 हो गई है जिसके फलस्वरूप संचरण प्रणाली की पावर evacuation क्षमता करीब 6816 मेगावाट हो गयी है।

ग्रामीण विद्युतीकरण के तहत पिछले एक वर्ष में 392 अदद अविद्युतीकृत ग्रामों को ऊर्जान्वित किया गया है तथा 877557 (आठ लाख सतहत्तर हजार पांच सौ सनतावन) बी0पी0एल0 परिवारों को नया विद्युत कनेक्शन दिया गया है।

राज्य सरकार द्वारा संकल्पित सात निश्चयों में से एक ''हर घर बिजली'' के तहत राज्य के सभी घरों को विद्युत संबंध देने के उद्देश्य से ग्रामीण विद्युतीकरण के तहत सभी बी.पी.एल. परिवारों एवं मुख्य मंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना के तहत अगले दो वर्षों में सभी ग्रामीण ए.पी.एल. परिवारों को विद्युत संबंध देने का लक्ष्य निर्धारित है।

राज्य में Android Mobile के माध्यम से स्पॉट बिलिंग का कार्य प्रारंभ हो गया है एवं इसे पूरे राज्य में मार्च 2017 तक लागू किया जाना है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में मुख्यमंत्री नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम के अन्तर्गत 1000 अदद सोलर पम्प का अधिष्ठापन कार्य कराया गया है। 3300 अदद सोलर पम्प अधिष्ठापन का कार्य कराया जा रहा है। सोलर रूफटॉप पावर प्लांट अधिष्ठापन योजना अन्तर्गत राज्य के शहरी एवं ग्रामीण आवासीय तथा व्यावसायिक परिसरों में 1KWP क्षमता के 6000 अदद रूफटॉप सोलर पावर प्लांट का अधिष्ठापन का कार्य कराया जा रहा है।

mtk foHkkx dk o"k 2017&18 e 10905-03 djkM ¼,d lk uk vjc ikp djkM rhu yk[k :i;s vkofVr dju dk iLrko djrk g ftle Ldhe en e 6795-59 djkM ¼lM lB vjc iUpkuo djkM mUlB yk[k :i;s rFkk LFkkiuk ,o ifrc) 0;; en e 4109-44 djkM ¼bdrkyhl vjc uk djkM pkokfyl yk[k :i;s 'kkfey gA

xkeh.k fodkl foHkkx

मनरेगा अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी 177 रूपये दी जा रही है जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी की दर 167 रूपये से अधिक है। इस वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार द्वारा 6466.47 लाख (चौंसठ करोड़ छियासठ लाख सैंतालिस हजार) रूपये की अंतर राशि का वहन अपने खजाने से किया गया।

अनुसूचित जाति/जनजाति के बसावटों के लिए सम्पर्क सड़क, उनका पक्कीकरण एवं नाली निर्माण की 13598 योजनाएं पूर्ण की गयी है, 78405 योजनाओं में कार्य हो रहे हैं। पंचायतों एवं पंचायत स्तर पर मनरेगा भवन निर्माण की 2924 योजनाओं की स्वीकृति पूर्ण हो चुकी है जिसमें 2395 योजनाओं का कार्य चल रहा है। 529 भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। पूर्व के 4.88 लाख अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराया गया है, जिस पर 400.58 करोड़ रूपये की राशि व्यय किया गया है।

जीविका अंतर्गत अब तक 5.80 लाख (पांच लाख अस्सी हजार) स्वयं सहायता समूह का गठन कर 4.10 लाख (चार लाख दस हजार) समूहों को बैंको के माध्यम से वित्तपोषण कराते हुए रोजगार मुहैय्या कराया गया है। बिहार ट्रांसफार्मेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (BTDP)–जीविका–II का कार्यान्वयन अगस्त 2016 से किया जा रहा है।

आधार कार्ड परियोजना अंतर्गत राज्य के 75.52 प्रतिशत कुल 8.25 करोड़ व्यक्तियों का आधार सृजित किया जा चुका है। शतप्रतिशत लोगों का आधार आच्छादन हेतु प्रखंड मुख्यालयों, नगरनिकायों, अनुमंडल मुख्यालयों एवं जिला मुख्यालयों में RTPS की तरह राज्य में 1000 आधार स्थायी केन्द्र स्थापित किये गये हैं।

33 जिलों के 101 प्रखंडों में NABARD के RIDF योजना अंतर्गत 935.47 करोड़ (नौ अरब पैंतीस करोड़ सैंतालिस लाख) रूपये की लागत से प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी भवन का निर्माण कराया जायेगा।

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान का क्रियान्वयन 131 प्रखण्डों में किया जा रहा है। वर्ष 2017–18 में इस कार्य को और तीव्र गति से चलाया जायेगा। 2 अक्टूबर, 2019 तक राज्य को 'खुले में शौच से मुक्त' घोषित किये जाने का लक्ष्य है।

xkeh.k fodkl foHkkx dk o"kZ 2017&18 esa 9717-48 djksM+ ¼lrkuos vjc l=g djksM+ vM+rkyhl yk[k½ :i;s vkofVr djus dk izLrko djrk gw¡ ftlesa Ldhe en esa 9424-32 djksM+ ¼pkSjkuos vjc pkSchl djksM+ cRrhl yk[k½ :i;s rFkk LFkkiuk ,oa izfrc) O;; en esa 293-16 djksM+ ¼nks vjc frjkuos djksM+ lksyg yk[k½ :i;s 'kkfey gSA

iapk;r jkt foHkkx

त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं की कार्यक्षमता बढ़ाने, स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने तथा उन्हें और सबल बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2017–18 में भी 14वें वित्त आयोग, पंचम राज्य वित्त आयोग, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण योजना, पंचायत सरकार भवन निर्माण, राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान के तहत त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को मानदेय हेतु राशि दी जानी है।

चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य की त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को वर्ष 2017—18 में बुनियादी अनुदान के रूप में 3630.39 करोड़ (छतीस अरब तीस करोड़ उनचालिस लाख) रूपये एवं निष्पादन अनुदान के रूप में 466.41 करोड़ (चार अरब छियासठ करोड़ एकतालिस लाख) रूपये की राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वर्ष 2017—18 में राज्य की त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को 2162.31 करोड़ (एक्कीस अरब बासठ करोड़ एकतीस लाख) रूपये की राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

वित्तीय वर्ष 2017—18 में मुख्यमंत्री के सात निश्चय योजना के अर्न्तगत क्रियान्वित मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण गली—नाली पक्कीकरण योजना हेतु कुल 1625.00 करोड़ (सोलह अरब पचीस करोड़) रूपये की राशि उपलब्ध करायी जायेगी। पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु 300 करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

वाह्य सम्पोषित योजना (EAP) अंतर्गत Loan एवं State Share के रूप में प्राप्त होने वाली राशि क्रमशः 150 करोड़ रूपये एवं 64.29 करोड़ रूपये की राशि से राज्य के 12 जिलों (पटना, नालन्दा, भोजपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, गया, रोहतास, औरंगाबाद, समस्तीपुर, दरभंगा एवं मधुबनी) में बिहार सरकार द्वारा पूर्व के स्वीकृत डिजाईन के अनुसार 330 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कराया जायेगा।

ispk;rh jkt foHkkx dks o"kZ 2017&18 esa 8694-43 djksM+ ¼fN;klh vjc pkSjkUos djksM+ rSrkyhl yk[k½ :i;s vkofVr djus dk izLrko djrk gw¡ ftlesa Ldhe en esa 2136-21 djksM+ ¼bDdhl vjc NRrhl djksM+ bDdhl yk[k½ :i;s rFkk LFkkiuk ,oa ifrc) O;; en esa 6558-22 djksM+ ¼iSlB vjc vUBkou djksM+ ckbZl yk[k½ :i;s 'kkfey gSA

;kstuk ,oa fodkl foHkkx

विभाग द्वारा योजनाओं का सूत्रण, स्वीकृति एवं अनुश्रवण का महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। विगत वर्षो की भांति वित्तीय वर्ष 2017—18 में भी मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, कोसी पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण योजना, मुख्यमंत्री नवप्रवर्त्तन योजना आदि का क्रियान्वयन किया जायेगा।

20–25 वर्ष के इंटरमीडिएट उत्तीर्ण बेरोजगार युवकों को 2 वर्ष तक प्रत्येक माह 1000/– रूपये की स्वयं सहायता भत्ता उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में आरंभ की गई मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना अंतर्गत राज्य के सभी जिलों में आवेदकों के निबंधन, उनके कागजातों के सत्यापन आदि हेतु जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र स्थापित किया गया है।

;kstuk ,oa fodkl foHkkx dk o"kZ 2017&18 esa 2841-73 djksM+ ¼vBkbZl vjc bdrkyhl djksM+ frgRrj yk[k½ :i;s vkofVr djus dk izLrko djrk gw¡ ftlesa Ldhe en esa 2682-23 djksM+ ¼NCchl vjc cjklh djksM+ rsbZl yk[k½ :i;s rFkk LFkkiuk ,oa izfrc) O;; en esa 159-50 djksM+ ¼,d vjc mUlB djksM+ ipkl yk[k½ :i;s 'kkfey gSA

jktLo ,oa Hkwfe lq/kkj foHkkx

महादलित विकास योजना के अन्तर्गत वास भूमि रहित महादलित परिवारों को प्रति परिवार 03 डिसमिल वास भूमि उपलब्ध कराने की योजना वर्ष 2009–10 से कार्यान्वित की जा रही है। बीस हजार रूपये की क्रय सीमा को समाप्त कर एम0वी0आर0 पर क्रय करने का निर्णय लिया गया है। अब तक कुल 240705 (दो लाख चालीस हजार सात सौ पांच) महादलित परिवारों को वास भूमि उपलब्ध करायी जा चुकी है। इसमें कुल 42619 वास रहित महादलित परिवारों को रैयती भूमि क्रय नीति, 2010 के अन्तर्गत 3 (तीन) डिसमील की दर से वास भूमि क्रय कर उपलब्ध करायी गयी है।

अभियान बसेरा योजनांतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग–I एवं II के सभी वास भूमि रहित परिवारों को वास भूमि उपलब्ध कराये जाने के तहत न्यूनतम बाजार मूल्य दर पर भूमि क्रय कर उपलब्ध कराया जाना है। इस योजना के अन्तर्गत अब तक 109182 (एक लाख नौ हजार एक सौ बयासी) परिवार सर्वेक्षित किये गये है, जिसमें से 57195 (सनतावन हजार एक सौ पनचानवे) परिवारों को वास भूमि उपलब्ध करायी गयी है। शेष 51987 (एक्यावन हजार नौ सौ सतासी) वास रहित परिवारों को वित्तीय वर्ष 2017–18 में वास भूमि उपलब्ध करायी जायेगी।

बिहार राज्य शहरी क्षेत्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के वास भूमि रहित परिवारों के लिए वास भूमि नीति, 2014 लागू की गयी है। यह नीति लागू करने वाला बिहार देश में पहला राज्य है।

सम्पर्क सड़क योजनान्तर्गत राज्य में वैसे ग्राम/टोले/मोहल्ले जिनका सम्पर्क मुख्य सड़क से नहीं है, को मुख्य सड़क से जोड़ने हेतु रैयती भूमि का क्रय किया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष में 70 योजनाएँ पूर्ण हुई जिससे कुल 98 ग्राम/टोले/मुहल्लों को सम्पर्क सड़क से जोड़ा गया है।

ऑपरेशन भूमि दखल–देहानी के तहत बेदखल पर्चाधारियों को जमीन पर कब्जा दिलाने की कार्रवाई की जा रही है। 30 नवम्बर, 2016 तक 75,837 बेदखल किये गये पर्चाधारियों को उनके आवंटित भूमि पर पुनः दखल दिलाया गया है।

बिहार राज्य के 30 जिलों में भू–अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण किया गया है एवं शेष जिलों का अद्यतन भू–अभिलेख डाटा दिसम्बर, 2017 तक प्रकाशित करने का लक्ष्य है।

राज्य के सभी जिलों के राजस्व मानचित्रों की ऑनलाईन आपूर्ति बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग से प्रारंभ हो चुकी है। सभी जिलों के सदर अंचल कार्यालय से दिसम्बर, 2017 तक डिजिटाईज्ड मानचित्र उपलब्ध कराने की योजना है।

आधुनिक तकनीक से तैयार किये गये भू–अभिलेख डाटा का अंचल स्तर पर संधारण करने के लिए राज्य के सभी अंचलों में चरणबद्ध कार्यक्रम के तहत डाटा केन्द्र सह आधुनिक अभिलेखागार का निर्माण कराया जा रहा है। वर्त्तमान में कुल 534 अंचल कार्यालयों में से 305 अंचलों में डाटा केन्द्र–सह–आधुनिक अभिलेखागार भवन का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है एवं शेष अंचलों में भवन निर्माण कार्य शीघ्र ही पूरा करने का लक्ष्य है। राज्य के 145 डाटा केन्द्र–सह–आधुनिक अभिलेखागार भवन में आधुनिक उपकरण अधिष्ठापित किया जा चुका है।

राज्य के राजस्व पदाधिकारियों/कर्मचारियों को आधुनिक उपकरणों/तकनीक का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शास्त्रीनगर, पटना में राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान भवन में प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है।

jktLo ,oa Hkwfe lq/kkj foHkkx dk o"kZ 2017&18 esa 862-22 djksM+ ¼vkB vjc ckls djksM+ ckbZl yk[k½ :i;s vkofVr djus dk iLrko djrk gS ftlesa Ldhe en esa

152-25 djkM+ ¼,d vjc ckou djkM+ iPphl yk[k½ :i;s rFkk LFkkiuk ,oa ifrc) 0;; en esa 709-97 djkM+ ¼lkr vjc ukS djkM+ lRrkuos yk[k½ :i;s 'kkfey gSA

uxj fodkl ,oa vkokl foHkkx

शहरी क्षेत्रों में वासित परिवारों को पक्की नाली–गली से जोड़ने हेतु मुख्यमंत्री शहरी नाली–गली पक्कीकरण निश्चय योजना कार्यान्वित की जा रही है, जिसके तहत् अगले पाँच वर्षों में शहरी क्षेत्र में अवस्थित प्रत्येक घर को पक्की नाली–गली से जोड़े जाने का लक्ष्य है।

शहरी क्षेत्रों में वासित प्रत्येक परिवार को शुद्ध नल का जल उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री शहरी पेय जल निश्चय योजना के अंतर्गत अगले पाँच वर्षों में शहरी क्षेत्र में वासित प्रत्येक परिवार तक शुद्ध नल का जल पहुँचाने का लक्ष्य है। प्रथम चरण में चालू वित्तीय वर्ष में कुल 89 नगर निकायों में शुद्ध नल का जल उपलब्ध कराने हेतु योजना स्वीकृत की गयी है।

शहरी स्थानीय निकायों द्वारा नागरिक सुविधाओं से संबंधित आधारभूत ढाँचा के निर्माण के लिए जमीन की कठिनाई को दूर करने के लिए यह नीति बनायी गयी है कि सरकार के किसी एक विभाग को जमीन की आवश्यकता है और दूसरे विभाग के पास जमीन उपलब्ध है तो दोनों विभागों की सहमति से समाहर्त्ता तीन एकड़ तक की भूमि का अंतर्विभागीय निःशुल्क हस्तांतरण कर सकते हैं। इस प्रावधान को नगर निकायों के लिए लागू किया जाएगा। सरकारी भूमि अनुपलब्ध होने की स्थिति में नगर निकायों को निजी भूमि क्रय करने का अधिकार भी दिया गया है।

पटना शहर में परिवहन की व्यवस्था सुदृढ़ करने के क्रम में 33161 लाख रूपये (तीन सौ एकतीस करोड़ एकसठ लाख रु०) की अंर्तराज्यीय बस टर्मिनल (ISBT) के निर्माण की योजना का कार्य प्रारंभ किया गया है जिसे दिसम्बर, 2018 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

राज्य के 39 नगर निकायों में बस स्टैंड निर्माण की योजना के तहत 10 बस स्टैंड का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

दिसम्बर, 2016 से जनवरी, 2017 के मध्य श्री गुरूगोविन्द सिंह जी महाराज की 350वाँ प्रकाशोत्सव का सफल आयोजन हेतु कुल 8832.50797 लाख रू0 (अठासी करोड़ बत्तीस लाख पचास हजार सात सौ संतानवे रु०) की योजनाओं का कार्यान्वयन किया गया।

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना के अधीन नगर निकाय क्षेत्र में स्थित सभी शौचालय विहीन घरों में शौचालय की व्यवस्था के लिए योजना के तहत अगले 4 वर्षों में कुल 7.52863 लाख शौचालय बनाये जाने हैं। अबतक 55258 व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया तथा 96470 इकाई निर्माणाधीन है।

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) योजनान्तर्गत राज्य के सभी 11 नगर निगम, एक लाख से अधिक आबादी वाले 15 नगर परिषद एवं बोधगया नगर पार्क विकास योजना का कार्यान्वयन नगर निकाय द्वारा एवं जलापूर्ति योजना का कार्यान्वयन बिहार राज्य जल पर्षद (BRJP) द्वारा किया जा रहा है।

नमामी गंगे योजना राज्य के गंगा नदी तट पर अवस्थित शहर बक्सर, पटना, हाजीपुर, बेगूसराय एवं मुंगेर में कार्यान्वित की जा रही है। इसके अंतर्गत Sewerage Treatment Plant का निर्माण एवं Sewer निर्माण का कार्य किया जा रहा है। पटना में गंगा नदी तट के विकास योजना अंतर्गत 20 गंगा घाटों को विकसित करने का कार्य BUIDCO द्वारा किया जा रहा है।

ADB संपोषित 493 करोड़ रूपये लागत की भागलपुर जलापूर्ति योजना तथा गया जलापूर्ति योजना फेज–I एवं फेज–II के कार्यान्वयन से भागलपुर एवं गया नगर निकाय क्षेत्र के नागरिकों को 24X7 दिन स्वच्छ पेयजल प्राप्त हो सकेगा।

JnNURM शहरी परिवहन योजना के अधीन फेज–II के अन्तर्गत 13 शहर/शहर समूहों के लिए 227 बसों का क्रय 5818.87 लाख रू0 की लागत व्यय से BUIDCO द्वारा कराया गया है तथा BSRTC को परिचालन हेतु हस्तांतरित कर दिया गया है।

16960 करोड़ रूपये के अनुमानित व्यय पर पटना Metro Rail परियोजना प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भारत सरकार को भेजा गया है।

राजीव आवास योजना (RAY) योजनांतर्गत परियोजनाओं पर कार्य आरंभ हो चुका है। शिविर लगाकर लाभुकों को राशि का वितरण किया जा रहा है। इसमें से BUIDCO के द्वारा एक परियोजना पर बहुमंजिली इमारत का निर्माण कार्य प्रारंभ है। शेष छः परियोजनाओं में कुल 6834 लाभुकों का खाता खोलकर प्रथम किश्त के रूप में 4787 लाभुकों को राशि वितरित की गयी है

DAY-NULM स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अधीन 34,500 लाभुकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। Shelter for Urban homeless के लिए 48 नये Homeless Shelter विभिन्न नगर निकाय में निर्माण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत सबके लिए आवास (शहरी) योजना वर्ष 2015–2022 के दौरान, शहरी क्षेत्र के सभी पात्र परिवारों/लाभुकों को विभिन्न घटकों के अन्तर्गत आवास प्रदान करने की योजना राज्य के सभी 140 नगर निकायों में लागू की गयी है।

uxj fodkl ,oa vkokl foHkkx dk o"kZ 2017&18 esa 4335-01 djksM+ ¼rhrkyhl vjc iSrhl djksM+ ,d yk[k½ :i;s vkofVr djus dk izLrko djrk gS ftlesa Ldhe en esa 2734-61 djksM+ ¼lrkbZl vjc pkSrhl djksM+ bdlB yk[k½ :i;s rFkk LFkkiuk ,oa izfrc) O;; en esa 1600-40 djksM+ ¼lksyg vjc pkyhl yk[k½ :i;s 'kkfey gSA

lekt dY;k.k foHkkx

बच्चों और महिलाओं की बहुआयामी तथा परस्पर संबंधित जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य के सभी प्रखण्डों में समेकित बाल विकास योजना संचालित है।

पूरक पोषाहार योजना अन्तर्गत कुल 544 बाल विकास परियोजनाओं में 91,677 ऑगनबाड़ी केन्द्रों (मिनी सहित) के माध्यम से 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती/शिशुवती महिलाओं को पूरक पोषाहार प्रदान किया जा रहा है। भारत सरकार से नव स्वीकृत 23,041 ऑगनबाड़ी केन्द्रों में इस योजना का कार्यान्वयन प्रक्रियाधीन है।

किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम (सबला) के अंतर्गत 12 जिलों में 20 लाख किशोरी बालिकाओं को लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित है। अबतक कुल 19,99,642 किशोरी बालिकाएं लाभान्वित हुई हैं।

इंदिरा गॉधी मातृत्व सहयोग योजना राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन सहित दो जिलों वैशाली एवं सहरसा में संचालित हैं। योजनान्तर्गत 1,31,500 लाभुकों को लाभान्वित किया जाना है।

ऑगनबाडी केन्द्र के बच्चों के लिए पोशाक योजना अंतर्गत ऑगनबाड़ी केन्द्रों पर स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे 3–6 वर्ष आयु के 40 बच्चों को 250 रूपया वार्षिक लागत की दर पर कुल 44.46 लाख बच्चों को पोशाक उपलब्ध कराया गया है।

आई.सी.डी.एस. योजना अन्तर्गत मैनेजमेंट इनफोरमेंसन सिस्टम को सुदृढ़ किया गया है।

मुख्य मंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बी0पी0एल0 परिवार तथा ऐसे अन्य परिवार जिनकी आय 60,000/– (साठ हजार) रूपये तक हो, की कन्या को विवाह के समय मात्र 5000/–

(पॉच हजार) रूपये का भुगतान कन्या के नाम चेक/डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 2016–17 में 6,897 कन्याओं को लाभान्वित किया गया।

मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना का कार्यान्वयन महिला विकास निगम द्वारा किया जा रहा है। इस योजना का लाभ एक परिवार की मात्र दो कन्याओं को देय है।

राज्य की महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सशक्तीकरण हेतु ''मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना'' का संचालन किया जा रहा है।

राज्य में महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त करने के उद्देश्य से महिला विकास निगम की स्थापना की गयी है। राज्य के सभी जिलों में महिला विकास निगम के जिला स्तरीय कार्यालय की स्थापना की जा रही है।

समेकित बाल संरक्षण योजना लागू करने हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार के बीच एक मेमोरेन्डम ऑफ अंडरस्टैडिंग (MOU) हस्ताक्षरित किया गया है। वर्तमान में राज्य बाल संरक्षण समिति द्वारा कुल 20 बाल गृह, 25–विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान, 08–खुला आश्रय संचालित कर अनाथ, बेसहारा, परित्यक्त एवं बेघर बच्चों को आश्रय प्रदान किया जा रहा है। साथ ही विधि विवादित बच्चों के लिए 11 पर्यवेक्षण गृह एवं 1 विशेष गृह का संचालन किया जा रहा है।

परिवार तथा अभिभावक (पालक) विहीन बच्चों को उनके/दत्तक परिवार में पालन–पोषण के लिए पालक परिवारों को पालन–पोषण/अनुदान भत्ता प्रदान कर प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से परवरिश योजना प्रारंभ की गयी है, जिसके तहत् पालक परिवार को आर्थिक सहायता के साथ ही सामूहिक स्वास्थ्य बीमा एवं बच्चे के नाम से पूंजीगत् अनुदान निवेशित की जा रही है। इस योजना से अभी तक कुल 9,015 (नौ हजार पंद्रह) बच्चों को लाभान्वित किया गया है।

अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लागू योजना अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अंतर्जातीय विवाह करने वाली महिला को आर्थिक दृष्टि से सबल बनाने हेतु 1,00,000/–(एक लाख रूपये) का अनुदान राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा प्रमाण पत्र के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है।

सामाजिक सुरक्षा की 6 पेंशन योजनाएं संचालित हैं। इनके अन्तर्गत वृद्धजनों, विधवाओं, निःशक्तजनों एवं अन्य असहाय व्यक्तियों को 400/–रू0 प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदान किया जाता है। डी0बी0टी0 के माध्यम से पेंशनधारियों के खाते में पेंशन राशि का भुगतान किया जा रहा है। अब तक कुल 33 लाख पेंशनधारियों के खाते में पेंशन का भुगतान किया जा चुका है। शेष पेंशनधारियों को उनके खाते में पेंशन भुगतान की कार्रवाई की जा रही है।

मृत्योपरांत देय अनुदान योजना के अन्तर्गत तीन योजनाएँ चलाई जा रही हैंः–

क) राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना

ख) कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना

ग) मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना

इन योजनाओं के माध्यम से बी0पी0एल0 परिवारों में मृत्यु के बाद उनके आश्रित को अनुग्रह अनुदान हेतु 20 हजार रूपये और शवों की अन्त्येष्टि हेतु 3 हजार रूपये का भुगतान किया जाता है।

मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना, ''सम्बल'' अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण हेतु अभी तक 11.19 लाख विकलांग व्यक्तियों को प्रमाणीकृत किया गया है, जिसमें से 5.75 लाख दिव्यांगजनों को डी0बी0टी0 के माध्यम से निःशक्तता पेंशन का भुगतान किया गया है।

कुष्ठ रोगियों के जीविकोपार्जन एवं उन्हें भिक्षावृत्ति से दूर रखने हेतु बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत राज्य के Grade-II Deformities के कुष्ठ रोगी को 1500/– रूपये प्रतिमाह प्रति कुष्ठ रोगी की दर से सहायता राशि दी जा रही है।

समाज कल्याण विभाग द्वारा 8 (आठ) विशेष विद्यालयों (3 नेत्रहीन एवं 5 मूक–बधिर) का संचालन दरभंगा,पटना, मुंगेर एवं भागलपुर में किया जा रहा है। विकलांगजनों को सभी सरकारी नियोजन में 3% आरक्षण के साथ–साथ आयु सीमा में 10 वर्षों की छूट प्रदान की गयी है। सभी शैक्षणिक संस्थानों में भी विकलांग छात्र/छात्राओं के लिए नामांकन में 3% सीट आरक्षित है।

मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना में ''स्टेट सोसाइटी फॉर अल्ट्रा पूअर एण्ड सोशल वेलफेयर'' का गठन किया गया है। वृद्धों के पुनर्वास के लिए ''ओल्ड एज होम'' (सहारा) का क्रियान्वयन स्वंयसेवी संस्थाओं के माध्यम से राज्य के पाँच जिलों – पटना, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णियाँ एवं भागलपुर में किया जा रहा है। एड्स कंट्रोल सोसाईटी की सहायता से बिहार के एड्स पीड़ितों को 1500/–रू0 प्रतिमाह की सहायता प्रदान करने हेतु बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्रारम्भ की गयी। इस योजना के तहत निःशक्त पुरूष/महिला के विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए

अधिकतम परिपक्वता राशि देने वाले राष्ट्रीयकृत बैंकों में सावधि जमा के माध्यम से 50,000/—रूपये अनुदान के रूप में देने का प्रावधान है।

बिहार माता—पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण—पोषण तथा कल्याण नियमावली, 2012 प्रख्यापित की गई है। वृद्धजनों के लिए पटना, गया एवं पूर्णियॉ जिला में वृद्धाश्रम का निर्माण किया जा रहा है।

lekt dY;k.k foHkkx dk o"k 2017&18 e 6006-26 djkM ¼lkB vjc N% djkM NCchl yk[k½ :i; vkofVr dju dk iLrko djrk g ftle Ldhe en e 5948-90 djkM ¼mulB vjc vMrkyhl djkM uCc yk[k½ :i; rFkk LFkkiuk ,o ifrc) O;; en e 57-36 djkM ¼lrkou djkM NRrhl yk[k½ :i; 'kkfey gA

vu|lfpr tkfr ,o vu|lfpr tu tkfr dY;k.k foHkkx

बिहार महादलित विकास योजना अंतर्गत मुख्य रूप से शौचालय का निर्माण, विशेष विद्यालय का संचालन, सामुदायिक भवन—सह—वर्क शेड निर्माण की योजना, दशरथ मांझी कौशल विकास योजना एवं सामुदायिक रेडियो योजनाएँ संचालित हैं।

दशरथ मॉझी कौशल विकास योजना के अन्तर्गत महादलित परिवार के युवक एवं युवतियों के कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2015—16 तक इस योजना के अन्तर्गत कुल 219971 (दो लाख उन्नीस हजार नौ सौ एकहत्तर) महादलित समुदाय के युवक एवं युवतियों को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया गया है।

समेकित थरूहट क्षेत्र विकास अतंर्गत पश्चिम चम्पारण जिला के थरूहट क्षेत्र के विकास के लिए थरूहट क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के लिए 5 बालक तथा 5 बालिका आवासीय उच्च विद्यालय की स्थापना की स्वीकृति दी गई है। 5 आवासीय विद्यालय का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

पश्चिम चम्पारण जिला के अनु0 जनजाति के सर्वांगीण विकास हेतु समेकित थरूहट क्षेत्र विकास अभिकरण के माध्यम से कई योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। अभिकरण के माध्यम से अबतक 2041 अनु0 जनजाति के व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु विभिन्न कौशल विकास के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत लाभान्वित किया गया है।

अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम,1989 के अंतर्गत अत्याचार पीड़ितों को सहायता प्रदान करने हेतु इस योजना का सफल संचालन किया जा रहा है। अबतक 1259 पीड़ित व्यक्ति लाभान्वित किये गये हैं। हत्या के 290 पीड़ित/आश्रितों को नियमानुसार पेंशन का लाभ दिया जा रहा है।

अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं के लिए 65 तथा अनु0 जनजाति छात्रों के लिए 15 आवासीय विधालय स्वीकृत हैं जिसमें क्रमशः 23640 अनु0 जाति एवं 4880 अनु0 जनजाति के छात्र/छात्राओं की शिक्षा की व्यवस्था है।

560 आसन वाले 6 अनु0 जाति आवासीय विद्यालयों – बक्सर, चौतरवा (प0 चम्पारण), पोखरैरा (मुजफ्फरपुर), रामनगर (मधुबनी), महकार(गया) एवं कुदरा (भभुआ) में नये भवनों का निर्माण किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में 15 आवासीय विद्यालयों एवं 5 छात्रावासों का निर्माण कराये जाने का लक्ष्य है।

वर्तमान में अनु०जाति के लिए 7 प्राक्–परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों –पटना, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, सारण एवं आरा में संचालित किया जा रहा है। इन केन्द्रों में 1000 अभ्यर्थियों को विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा सम्पोषित चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना में एक ^^LVMsV xkbMsal lsUVj** संचालित किया जा रहा है।

vuqlwfpr tkfr ,oa vuqlwfpr tutkfr dY;k.k foHkkx dks o"kZ 2017&18 esa 1301-90 djksM+ ¼rsjg vjc ,d djksM+ uCcs yk[k½ :i;s vkofVr djus dk iLrko djrk gS ftlesa Ldhe en esa 1097-24 djksM+ ¼nl vjc lrkuos djksM+ pkSchl yk[k½ :i;s rFkk LFkkiuk ,oa izfrc) 0;; en esa 204-66 djksM+ ¼nks vjc pkj djksM+ fN;klB yk[k½ :i;s 'kkfey gSA

fiNM+k ,oa vfrfiNM+k oxZ dY;k.k foHkkx

वित्तीय वर्ष 2015–16 में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को विद्यालय छात्रवृत्ति प्रदान करने के तहत 148 लाख (एक करोड़ अड़तालीस लाख) छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया। वित्तीय वर्ष 2017–18 में 89 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृति प्रदान करने का लक्ष्य है।

अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत 3.44 लाख (तीन लाख चवालिस हजार) छात्र/छात्राओं को लाभांवित किया गया है एवं शेष छात्र/छात्राओं को लाभान्वित करने की कार्रवाई की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में 1.51 लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की माध्यमिक परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु 21000 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य है।

मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना के अन्तर्गत अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने पर 10,000/– रूपये एकमुश्त वृत्तिका भुगतान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 90,000 छात्र/छात्राओं को मेधावृत्ति की राशि का भुगतान करने का लक्ष्य है।

मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना के अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग के छात्रों, जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 1,50,000/– रूपये या 1,50,000/– रूपये से कम हो, को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने पर 10,000/– रूपये एकमुश्त वृत्तिका भुगतान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु पिछड़ा वर्ग के 60,000 छात्रों को मेधावृत्ति की राशि का भुगतान करने का लक्ष्य है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास योजना के तहत चहारदिवारी निर्माण, परिसर विकास एवं मरम्मति आदि के लिए बजट में राशि का प्रावधान किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में विभाग अन्तर्गत संचालित आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावास भवनों के निर्माण के तहत जीर्णोद्धार/चहारदिवारी/परिसर विकास हेतु बजट में राशि का उपबंध प्रस्तावित है।

fiNMk oxZ ,oa vfrfiNMk oxZ dY;k.k foHkkx dk o"kZ 2017&18 esa 1536-09 djksM+ ¼iUnzg vjc NRrhl djksM+ ukS yk[k½ :i;s vkofVr djus dk izLrko djrk gSA ftlesa Ldhe en esa 1522-08 djksM+ ¼iUnzg vjc ckbl djksM+ vkB yk[k½ :i;s rFkk LFkkiuk ,oa ifrc) 0;; en esa 14-01 djksM+ ¼pkSng djksM+ ,d yk[k½ :i;s 'kkfey gSA

m|kx foHkkx

बिहार में त्वरित औद्योगिक विकास के लिए (1) बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति–2016 (2) औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम–2016 (3) औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली–2016 (4) स्टार्ट–अप पॉलिसी 2016 अधिसूचित किया गया है। नई औद्योगिक नीति के तहत प्राथमिकता के आधार पर औद्योगिक इकाईयों को विशेष सुविधाएँ देने का प्रावधान किया गया है।

सिंगल विण्डो सिस्टम को सुदृढ़ एवं कारगर बनाने के उद्देश्य से बिहार औद्योगिक निवेश अधिनियम– 2016 लागू की गयी है। एकीकृत क्लीयरेंस एवं अनुमोदन के लिए ऑन–लाइन प्रणाली विकसित की जा रही है।

स्टार्ट–अप पॉलिसी–2016 (भेंचर फंड) के तहत 500 (पाँच सौ) करोड़ रूपये कॉरपस फंड की अतिरिक्त राशि की व्यवस्था की गयी है। इसके तहत वर्ष 2016–17 में कुल 50 करोड़ रू. की राशि की स्वीकृति दी गयी है। मुख्यमंत्री के सात निश्चय के तहत स्टार्ट–अप नीति एवं कौशल विकास मिशन को प्राथमिकता देते हुए रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाया गया और प्रशिक्षण के उपरान्त प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार के लिए बहुत सारे विकल्प की व्यवस्था की गयी।

बिहार में एकीकृत हस्तशिल्प के विकास, इससे संबंधित प्रशिक्षण एवं संवर्धन से संबंधित 30 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति दी गयी है।

उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, दीधा, पटना के परिसर में नवनिर्मित पटना हाट का शुभारम्भ किया गया।

ताड़ के पेड़ के उत्पाद पर आधारित उद्योगों के विकास हेतु नीरा एवं नीरा से बनने वाले उत्पादो के लिए मैनुफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना एवं संचालन हेतु कम्फेड को जिम्मेवारी दी गयी है।

बिहार में खादी बोर्ड के भवनों और खादी के शो रूम भवनों के निर्माण के लिए 24.35 करोड़ (चौबीस करोड़ पैतीस लाख) रूपये की लागत से भवन का शिलान्यास किया गया। खादी पुनरूद्धार योजना के तहत 35 संस्थाओं/समितियों के बीच 1000 त्रिपुरारी मॉडल चरखा का वितरण किया गया।

राज्य में अब तक राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद द्वारा 2345 प्रस्ताव की स्वीकृति दी गयी है, जिसमें 2,88,875.71 करोड़ (अठाईस खरब अठासी अरब पचहत्तर करोड़ एकहत्तर लाख) रूपये का पूँजी निवेश तथा 2,42,513 व्यक्तियों का नियोजन संभावित है।

औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत वित्तीय वर्ष 2016–17 में 77 इकाईयों को 18.52 करोड़ रूपये कैप्टिव पावर/जी0डी0 सेट अनुदान 42 इकाईयों को 37.19 करोड़ रूपये पूँजीगत अनुदान तथा 1 इकाई को 20.90 लाख रूपये स्टाम्प डयूटी एवं निबंधन शुल्क की प्रतिपूर्ति की गयी है।

खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र के अन्तर्गत पी0ए0एम0सी0 द्वारा अबतक कुल 413 इकाईयों को स्वीकृति दी गयी है, जिसमें कुल संभावित पूंजीनिवेश 4743.99 करोड़ (सैतालीस अरब तैंतालीस करोड़ निनान्वे लाख) रूपये संन्निहित है।

इन्ट्रीग्रेटेड फूड जोन (मेगा फूड पार्क) योजनान्तर्गत मेसर्स जे0भी0एल0 मेगा फूड पार्क, रोहतास तथा मेसर्स प्रिस्टीन फूड पार्क, मानसी, खगड़िया की परियोजना कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है।

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना के अन्तर्गत 34 इकाईयों को भूमि का आवंटन किया गया है।

आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना द्वारा महिला आई0टी0आई0, दरभंगा, भागलपुर, पूर्णिया के भवन निर्माण, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यालय, पटना, जायका संपोषित राजकीय वन प्रशिक्षण अकादमी, गया तथा चालक प्रशिक्षण संस्थान, औरंगाबाद, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना में 3–डी थियेटर जैसे महत्वपूर्ण भवनों के निर्माण किये जा रहे हैं।

हस्तकरघा प्रक्षेत्र में 01 मेगा हैण्डलूम कलस्टर का चयन कर इसके तहत 10 प्रखण्ड स्तरीय कलस्टर के 4413 बुनकरों को विभिन्न तरह की सुविधाएँ प्रदान किये जाने की कार्रवाई की जा रही है। बुनकरों के एक परिवार के पाँच सदस्यों को स्वास्थ्य बीमा की सुविधा प्रदान की जायेगी

एवं 30 (तीस) हजार रूपये तक की ईलाज की सुविधा सरकारी एवं प्राइवेट अस्पतालों से मिलेगा।

राज्य सरकार ने हथकरघा क्षेत्र के लिए विकास कार्यक्रम शुरू किया है। इससे बुनकर व अन्य ग्रामीण परिवारों के लिए बड़ी संख्या में जीविका उपलब्ध करायी जा सकती है। विभिन्न जिलों में उत्पादन और विपणन सुविधाओं और औद्योगिक केन्द्रों की स्थापना पर विशेष रूप से फोकस किया जाएगा।

मुख्यमंत्री कोशी मलवरी परियोजना के तहत 1868 व्यक्तियों द्वारा 934 एकड़ निजी भू–खण्ड में मलवरी वृक्षारोपण कराने, कीट पालकों के 61 समूह को सिंचाई हेतु पम्प सेट की आपूर्ति के साथ ही 312 कीट पालकों को कीट पालन उपस्कर उपलब्ध कराया गया है।

m|kx foHkkx dk o"k 2017&18 e 843-26 djkM ¼vkB vjc rrkyhl djkM NCch l yk[k½ :i; vkofVr dju dk iLrko djrk g ftle Ldhe en e 771-87 djkM ¼lkr vjc bdgRrj djkM lrklh yk[k½ :i; rFkk LFkkiuk ,o ifrc) 0;; en e 71-39 djkM ¼bdgRrj djkM mUrkyhl yk[k½ :i; 'kkfey gA

lpuk ,o ikof/kdh foHkkx

सात निश्चय के अन्तर्गत युवाओं को निःशुल्क इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने का अभियान प्रारम्भ किया गया है। इसके तहत् राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/शिक्षण संस्थानों में फ्री वाई–फाई की सुविधा प्रदान करने हेतु एक अरब पाँच करोड़ की राशि स्टेट नोडल एजेन्सी बेल्ट्रॉन को उपलब्ध करायी गयी है।

Next Gen Bihar State Wide Area योजना BSWAN 2.0 (2015-2020) की प्राक्कलित राशि 313.3890 करोड़ (तीन अरब तेरह करोड़ अड़तीस लाख नब्बे हजार) रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इस हेतु 82.5789 करोड़ (बेरासी करोड़ सन्तावन लाख नवासी हजार) रूपये की राशि स्टेट नोडल एजेन्सी बेल्ट्रॉन को योजना के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध करायी गयी है।

केन्द्र सरकार के कैशलेस योजना के तहत् चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत राज्य में कैशलेस को आम नागरिकों के बीच प्रचलित करने हेतु प्रचार अभियान चलाया जा रहा है। डिजि–धन मेला का आयोजन कर, किसान, आम जनता, व्यापारी, विद्यालय, विश्वविद्यालय,

इण्डियन ऑयल, विभिन्न बैंकों एवं औद्योगिकी संस्थान आदि को ई.–वॉलेट सेवा एवं मोबाईल के माध्यम से खरीदारी किये जाने की जानकारी उपलब्ध करायी जा रही है।

डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम को सफल बनाये जाने हेतु केन्द्र सरकार की National Optical Fiber Network/BharatNet योजना का संचालन राज्य में किया जा रहा है। राज्य के 350 प्रखण्ड़ों के 502 पंचायतों में Under Ground Connectivity प्रदान की गई है, 3000 पंचायतों में Fabricating का कार्य किया गया है तथा 1000 पंचायतों में ONT भी लगाया गया है। शेष प्रखण्डों में NOFN की Connecivity प्रदान करने हेतु 2604 पंचायतों में Over Head Fabricating का कार्य किया जा रहा है। इस योजना के पूर्ण कार्यान्वयन होने से राज्य के सभी पंचायतों को Internet Connectivity उपलब्ध हो जायेगी।

ई–शासन योजना के द्वारा सरकारी कार्यालयों एवं विभागों में कम्प्यूटराईजेशन एवं ई–गवर्नेंस का कार्य किया जा रहा है। राज्य स्तर पर NIC की सहायता से ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना ऑनलाईन प्रारम्भ किया गया है।

विभाग के द्वारा प्रचार एवं प्रशिक्षण अभियान के तहत् राज्य के कर्मियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण की सुविधा भी उपलब्ध करायी जा रही है। साथ–ही–साथ C-DAC के द्वारा राज्य की राजधानी पटना एवं गया में पिछड़ा/अतिपिछड़ा/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार युवाओं को ई–गवर्नेंस से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में ई–गवर्नेंस की विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन किया जायेगा।

lpuk izkof/kdh foHkkx dk o"k 2017&18 e 248-64 djkM ¼nk vjc vMrkyhl djkM pkSlB yk[k½ :i;s vkofVr djus dk izLrko djrk gS ftlesa Ldhe en esa 219-29 djkM ¼nk vjc mUuhl djkM mUrhl yk[k½ :i;s rFkk LFkkiuk ,oa izfrc) O;; en esa 29-35 djkM ¼mUrhl djkM iSrhl yk[k½ :i;s 'kkfey gSA

Je lalk/ku foHkkx

cky Je mUewyu हेतु माह सितम्बर तक 1193 निरीक्षण किया गया एवं 163 बाल श्रमिकों को विमुक्त कराकर 104 दोषी नियोजकों के विरूद्ध अभियोजन दायर किया गया है।

राज्य में **CLTS (Child Labour Tracking System)** नामक सौफ्टवेयर लॉंच किया गया है। प्रत्येक विमुक्त कराये गये बाल श्रमिकों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 25,000 रूपये की राशि उपलब्ध करायी जाती है।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के द्वारा राज्य में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को आर्थिक लाभ पहुँचाया जा रहा है। 88 अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी की दरों का पुनरीक्षण दिनांक–01.12.2016 के प्रभाव से किया गया है जिसके अनुसार सामान्य प्रकृति के नियोजनों के लिए न्यूनतम मजदूरी 237 रूपये प्रतिदिन एवं कृषि नियोजन के लिए 227 रूपये प्रतिदिन, निर्धारित किया गया है। अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु सभी जिलों में धावा दल का गठन किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में (नवम्बर, 16 तक) 31 दोषी नियोजकों के विरूद्ध अभियोजन दायर किया गया है एवं 3,75,872 रूपये का आर्थिक लाभ मजदूरों को दिलाया गया है।

बीड़ी कामगार गृह निर्माण योजना अंतर्गत गृह निर्माण हेतु प्रति बीड़ी श्रमिक को 1,50,000/– रूपये अनुदान तीन किस्तों में दिया जा रहा है 25% अग्रिम, 60% लिंटल लेवल तक गृह निर्माण के उपरान्त एवं 15% गृह निर्माण पूर्ण होने के पश्चात्। 1000 बीड़ी श्रमिकों को 4,000 रूपये प्रति मकान की दर से लाभांवित करने के लक्ष्य के विरूद्ध 652 बीड़ी श्रमिकों के लिए राशि उपलब्ध करायी गयी है।

श्रम विभाग के पदाधिकारियों एवं अन्य भागीदारों के क्षमता निर्माण, श्रम एवं नियोजन के मुद्दों पर अध्ययन, शोध एवं मूल्यांकन की कार्रवाई हेतु दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान पटना का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

vUrjkT;h; iokl h etnj ;kstuk अंतर्गत बिहार के प्रवासी मजदूर, जो अन्य राज्यों एवं विदेशों में भी कार्यरत हैं, के दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके वैध आश्रित को एक लाख रूपयेएवं दुर्घटना की तिथि से 180 दिनों के अन्दर स्थायी पूर्ण अपंगता की स्थिति में 75,000 (पचहत्तर हजार) रूपये, स्थायी आंशिक अपंगता की स्थिति में 37,500(सैंतीस हजार पॉच सौ) रूपये अनुदान की राशि संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा भुगतान किया जा रहा है।

c/kvk etnj iquokl ;kstuk अंतर्गत संशोधित योजना में विमुक्ति के पश्चात् पुनर्वास मद की पूर्ण राशि केन्द्र सरकार द्वारा जिला में संधारित Bonded Labour Rehabilitation Fund में उपलब्ध कराया जाएगा जिसके अंतर्गत –

विमुक्त वयस्क पुरूष बंधुआ श्रमिक को 100,000 (एक लाख) रूपये का अनुदान दिया जायेगा, जिसमें पूर्ण राशि लाभुक को बैंक खाता के माध्यम से दिया जायेगा या लाभुक की सहमति से Annuity Scheme में रखा जायेगा ।

विमुक्त बाल एवं महिला बंधुआ श्रमिक को 2,00,000 (दो लाख) रूपये का अनुदान दिया जायेगा जिसमें 1,25,000 (एक लाख पच्चीस हजार) रूपये Annuity Scheme में रखा जायेगा एवं शेष 75,000 रूपये लाभुकों को बैंक खाता के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा ।

विमुक्त बंधुआ श्रमिक जो किन्नर, यौन उत्पीड़ित, मानव तस्करी,दिव्यांग इत्यादि श्रेणी के अंतर्गत आते है उन्हें 3,00,000 (तीन लाख) रूपये का अनुदान दिया जायेगा, जिसमें 2,00,000 रूपये Annuity Scheme में रखा जायेगा एवं शेष 1,00,000 (एक लाख) रूपये लाभुक को बैंक खाता के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।

बिहार सरकार के द्वारा विमुक्त बंधुआ श्रमिकों को अन्य कल्याणकारी योजनाओं से नियमानुसार जैसे–इंदिरा आवास, पेंशन, जमीन का आवंटन इत्यादि से भी लाभान्वित किया जायेगा। माह दिसम्बर, 16 तक 704 बंधुआ मजदूरों को लाभान्वित किया गया है।

बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का अपना वेबसाईट (www.bocw-bihar.in) विकसित किया गया है एवं Online निबंधन से लेकर योजनाओं का प्रबोधन की प्रकिया प्रारम्भ की जा रही है। 7,74,993 (सात लाख चौहत्तर हजार नौ सौ तिरानबे) निर्माण श्रमिको को पंजीकृत किया गया है।

निर्माण श्रमिकों की मृत्यु के पश्चात उनके आश्रितों को 15,000/– रू0 की दर से मृत्युहित लाभ, 1000/– रूपये की दर से दाह संस्कार लाभ हेतु आर्थिक सहायता के रूप में दिया गया है।

निर्माण श्रमिकों को चिकित्सा सहायता के रूप में नवम्बर 2016 तक कुल 10 लाभार्थी को 1,000/– रूपये की दर से आर्थिक सहायता प्रदान किया गया है। निर्माण श्रमिकों के कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

बिहार राज्य के सभी नियोजनालयों में ऑनलाइन निबंधन का कार्य प्रांरभ किया जा रहा है। अब तक 4.5 लाख से अधिक आवेदक www.bihar.gov.in वेब पोर्टल पर ऑनलाइन निबंधित हो चुके हैं। दिनांक–01.11.2016 से बिहार के सभी नियोजनालयों में ऑनलाईन निबंधन का कार्य National Career Service के Portal www.ncs.gov.in पर संचालित किया जा रहा है।

राज्य के सभी जिलों में नियोजन–सह–व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला के माध्यम से निजी कंपनियों द्वारा मेला स्थल पर कुल–43534 (तेतालीस हजार पॉच सौ चौतीस) युवक/युवतियों को नियुक्ति हेतु चयनित किया गया है।

राज्य के दो नियोजनालयों अवर प्रादेशिक नियोजनालय, पटना एवं मुजफ्फरपुर में मॉडल कॅरियर सेन्टर स्थापित किया गया है। प्रादेशिक नियोजनालय, भागलपुर में मॉडल कॅरियर सेंटर की स्थापना की जा रही है।

राज्य के वैसे जिलों में जहाँ नियोजनालय के अपने भवन नहीं हैं, ''संयुक्त श्रम भवन'' निर्माण की योजना के अंतर्गत पूर्णियाँ, मुंगेर, डेहरी ऑन–सोन (रोहतास) मे संयुक्त श्रम भवन (G+2) तथा बक्सर, नवादा, बाँका, भभुआ, कटिहार, मोतिहारी, बेगुसराय, सीतामढ़ी, नालंदा एवं किशनगंज में संयुक्त श्रम भवन (G+1) के निर्माण की कार्रवाई की जा रही है।

बिहार राज्य समुद्रपार नियोजन ब्यूरो के माध्यम से राज्य के कौशल प्राप्त युवाओं को विदेशों में रोजगार हेतु नियोजन सहायता प्रदान किया जायेगा।

शिल्प प्रशिक्षण अन्तर्गत राज्य के 96 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में एकवर्षीय/द्विवर्षीय दो तरह के सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के लिए 25 व्यवसायों में प्रशिक्षण देने का कार्य किया जाता है। प्रतिवर्ष 30,500 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित करने की क्षमता है। 1,026 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र में 1.75 लाख छात्रों को प्रशिक्षित करने की क्षमता है।

शिक्षु योजना के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों को व्यवहारिक तथा तकनीकी कुशलता प्रदान करने हेतु 181 औद्योगिक प्रतिष्ठानों में 582 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर/भागलपुर/मोतिहारी/कटिहार/दरभंगा/गया/सीतामढ़ी एवं फारबिसगंज का चयन कर सेन्टर ऑफ एक्सेलेन्स (COE) के रूप में विकसित किया जा रहा है।

जन–निजी भागीदारी (पी0पी0पी0) के माध्यम से राज्य के 13 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का उन्नयन किया जा रहा है। औ0 प्र0 संस्थान, मढौरा को मॉडल आई0 टी0 आई0 के रुप में विकसित करने की कार्रवाई की जा रही है।

राज्य के औ0 प्र0 संस्थानों में नये–नये व्यवसाय प्रारम्भ करने की योजना है। राज्य के वैसे अनुमण्डलों में जहॉ औ0 प्र0 संस्थान नहीं हैं वहॉ औ0 प्र0 संस्थान खोलने का प्रस्ताव है।

राज्य के वैसे जिले जहॉ महिला औ0प्र0संस्थान नहीं हैं वहॉ कम से कम एक महिला औ0प्र0 संस्थान खोलने का प्रस्ताव है, अभी 23 महिला औ0प्र0संस्थान कार्यरत है।

राज्य के 96 औ0 प्र0 संस्थानों में बेलट्रॉन के माध्यम से BOOT पद्वति में एक–एक कम्प्यूटर लैब स्थापित किया गया है।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना द्वारा संचालित चिकित्सालयों के माध्यम से औद्योगिक संस्थानों में कार्यरत बीमित व्यक्तियों एवं उनके आश्रितों को राज्य सरकार के द्वारा सामान्य ं विशिष्ट/अतिविशिष्ट चिकित्सा सुविधा मुहैया कराया जा रहा है।

Je lalk/ku foHkkx dk o"kZ 2017&18 esa 468-95 djksM+ ¼pkj vjc vM+lB djksM+ iUpkuos yk[k½ :i;s vkofVr djus dk iLrko djrk gS ftlesa Ldhe en esa 316-18 djksM+ ¼rhu vjc lksyg djksM+ vBkjg yk[k½ :i;s rFkk LFkkiuk ,oa ifrc) O;; en esa 152-77 djksM+ ¼,d vjc ckou djksM+ lrgRrj yk[k½ :i;s 'kkfey gSA

xg foHkkx

वर्ष 2017–18 में थाना भवन, आवासीय भवन, एवं आउट पोस्ट के निर्माण हेतु भू–अर्जन मद में दस करोड़ रूपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

पुलिस भवन निर्माण मद के अन्तर्गत राज्य के 567 थानों में महिला पुलिस कर्मियों के लिए 2–2 अद्द शौचालय एवं स्नानागार का निर्माण कार्य पूरा किया गया। राज्य के सभी जिलों में मादक पदार्थों के रख–रखाव हेतु स्टोरेज फैसिलिटी के निर्माण कार्य की स्वीकृति दी गयी है। 65वीं अखिल भारतीय कुश्ती कलस्टर प्रतियोगिता के लिए 2016 के लिए BMP-5 पटना परिसर में मल्टीप्लेक्स इण्डोर स्टेडियम एवं जिम भवन तथा खेल उपकरणों के क्रय की स्वीकृति दी गयी है।

पुलिस प्रशासन के ढॉंचागत सुदृढ़ीकरण अंतर्गत राज्य के सभी 40 जिलों एवं 4 रेल जिलों के 1,056 थानों में CCTV कैमरा अधिष्ठापित किया जा रहा है। सभी जिलों में Cyber crime and Social media unit की स्थापना हेतु उपकरणों के क्रय की कार्रवाई तथा थाना/ओ0पी0, जिला

मुख्यालय एवं पुलिस के विभिन्न इकाईयों में कार्यरत बल के लिए VHF सेट का क्रय किया जा रहा है।

पुलिस आधुनिकीकरण हेतु राष्ट्रीय स्कीम (CCTNS परियोजना) के कार्यान्वयन की कार्रवाई की जा रही है।

कब्रिस्तानों की घेराबन्दी के अंतर्गत कुल 8064 अद्द कब्रिस्तानों में 5234 अद्द कब्रिस्तानों की घेराबन्दी का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 1382 अद्द कब्रिस्तानों की घेराबन्दी का कार्य प्रगति पर है।

गृह रक्षा वाहिनी मुजफ्फरपुर के कार्यालय एवं प्रशिक्षण केन्द्र के आधारभूत संरचना के निर्माण की कार्रवाई की जा रही है।

efnj pgkjnhokjh fuek.k fuf/k ;ktuk d vrxr राज्य के मंदिरों की चहारदीवारी का निर्माण करने की कार्रवाई की जा रही है।

xg foHkkx dk o"k 2017&18 e 7447-95 djkM ¼pkgRrj vjc lrkyhl djkM iUpkuo yk[k½ :i; vkofVr dju dk iLrko djrk g ftle Ldhe en e 359-19 djkM ¼rhu vjc mUlB djkM mUuhl yk[k½ :i; rFkk LFkkiuk ,o ifrc) 0;; en e 7088-76 djkM ¼lRrj vjc vBklh djkM fNgRrj yk[k½ :i; 'kkfey gA

fof/k foHkkx

बेगुसराय जिला अन्तर्गत बलिया एवं तेघड़ा अनुमंडल में तथा सारण जिलान्तर्गत सोनपुर अनुमंडल में अवर न्यायाधीश एवं मुंसिफ के न्यायालय का गठन किया गया है।

कुल 43 कोर्ट भवन का निर्माण पूर्ण हो गया है। 16 (सोलह) व्यवहार न्यायालयों के अंतर्गत 70 कोर्ट रूम का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है, 53 कोर्ट रूम का निर्माण कार्य प्रगति में है एवं 56 कोर्ट रूम का निर्माण कार्य प्रारंभ है। 07 व्यवहार न्यायालयों में कुल 92 कोर्ट रूम के निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

20 व्यवहार न्यायालयों के अंतर्गत 25 न्यायिक पदाधिकारी आवास का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है, 09 न्यायिक पदाधिकारी आवास का निर्माण कार्य प्रगति में है एवं 147 न्यायिक पदाधिकारी आवास एवं 52 कर्मचारी आवास का निर्माण कार्य प्रारंभ है।

पटना उच्च न्यायालय के विस्तारीकरण की योजना का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है।

अदालतगंज पटना में उच्च न्यायालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु क्रमशः 98 एवं 132 इकाई आवासीय कमरों हेतु बहुमंजिली आवासीय भवन फेज–1 के निर्माण के निमित्त प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

व्यवहार न्यायालय, खगड़िया, मुंगेर, बेगूसराय, मधेपुरा एवं औरंगाबाद में A.D.R. भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से लोक अदालत द्वारा 395 वादों का, मोबाईल लोक अदालत द्वारा 72,062 वादों का, राष्ट्रीय लोक अदालत द्वारा 1,70,924 वादों का, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा 5,076 नागरिकों को विधिक सहायता प्रदान किया गया है। "बिहार पीड़ित प्रतिकर योजना, 2014" के अंतर्गत कुल 2,00,07,373 (दो करोड़ सात हजार तीन सौ तिहत्तर) रूपये की राशि 117 नागरिकों (पीड़ितों) को उपलब्ध करायी गई है। बिहार के 58 जेलों में Legal Aid Clinic स्थापित किया गया है तथा 2884 नागरिकों को विधिक सहायता प्रदान की गई है।

बिहार राज्य न्यायिक अकादमी प्रशिक्षण संस्थान गायघाट, पटना में न्यायिक सेवा के कुल 1,008 पदाधिकारियों तथा व्यवहार न्यायालयों में कार्यरत 600 कर्मचारियों को न्यायिक प्रशिक्षण दिया गया। न्यायिक प्रशिक्षण अकादमी, गायघाट के परिसर को वाई–फाई युक्त कराने एवं प्रशिक्षुओं के लिए E-Library की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्रवाई की जा रही है।

fof/k foHkkx dks o"kZ 2017&18 esa 696-89 djksM+ ¼N% vjc fN;kuos djksM+ uokLlh yk[k½ :i;s vkoafVr djus dk iLrko djrk gS ftlesa Ldhe en esa 0-50 djksM+ ¼ipkl yk[k½ :i;s rFkk LFkkiuk ,oa ifrc) O;; en esa 696-39 djksM+ ¼N% vjc fN;kuos djksM+ mUrkyhl yk[k½ :i;s 'kkfey gSA

[kk| ,oa miHkksDrk laj{k.k foHkkx

1 फरवरी 2014 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा लागू करने वाले राज्यों में बिहार अग्रणी राज्य है । ग्रामीण क्षेत्र के 85.12 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्रो में 74.53 प्रतिशत कुल 871.16 लाख जनसंख्या को आच्छादित करने का लक्ष्य है जिसके विरूद्ध अबतक 8.57 करोड़ लाभुकों को खाद्यान्न

उपलब्ध कराया जा रहा है। अन्त्योदय योजनान्तर्गत अन्त्योदय परिवारों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न (14 किलोग्राम गेहूँ एवं 21 किलोग्राम चावल) एवं पूर्विकताप्राप्त गृहस्थियों के प्रत्येक लाभुकों को 5 किलोग्राम खाद्यान्न (2 किलोग्राम गेहूँ एवं 3 किलोग्राम चावल) दिया जाता है जिसका दर 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूँ एवं चावल 3 रुपये प्रति किलोग्राम है।

राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, डोर स्टेप डिलीवरी सिस्टम एवं विकेन्द्रीकृत धान/गेहूँ अधिप्राप्ति व्यवस्था लागू है। कृषि रोड मैप के अन्तर्गत राज्य की भंडारण क्षमता वर्ष 2022 तक 20 लाख मे0 टन करने का लक्ष्य है। 2015–16 में 803 गोदामों (7.005 लाख मे0 टन) का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है।

PDS कम्प्यूटराईजेशन के तहत जन वितरण प्रणाली के लाभुको तक खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्धेश्य से FPS का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। End to End Computerization एवं डोर–स्टेप डिलीवरी योजना भी कार्यान्वित है।

कृषकों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिप्राप्ति कार्यक्रम राज्य में लागू है। खरीफ विपणन मौसम 2016–17 में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य साधारण किस्म के लिए 1,470 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिप्राप्ति की जा रही है। क्रय किये गये धान की मिलिंग की व्यवस्था राज्य के मिलरों को पंजीकृत कर पैक्स/व्यापार मंडल से संबद्ध की गई है ।

केन्द्र प्रायोजित अन्नपूर्णा योजना से 19,388 अनाश्रय वृद्ध लाभान्वित हो रहे है। इस योजना अन्तर्गत 20 प्रतिशत वैसे अनाश्रय वृद्धों जिन्हें वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त नही हो रहा है को प्रतिमाह 6 किलो गेहूँ तथा 4 किलो चावल मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है।

[kk| ,o miHkkDrk lj{k.k foHkkx dk o"k 2017&18 e 1644-73 djkM ¼lkyg vjc pkokfyl djkM frgRrj yk[k½ :i;s vkofVr dju dk iLrko djrk g ftle Ldhe en e 1546-97 djkM ¼iUng vjc fN;kyhl djkM lUrkuo yk[k½ :i; rFkk LFkkiuk ,o ifrc) 0;; en e 97-76 djkM ¼lUrkuo djkM fNgRrj yk[k½ :i; 'kkfey gA

i;Vu foHkkx

बिहार की गौरवशाली परम्पराएँ, समृद्ध प्राकृतिक–सांस्कृतिक विशिष्ट पहचान, ऐतिहासिक विरासत, भौगोलिक परिदृश्य एवं मेले, पर्व, उत्सव आदि सदियों से स्वदेशी–विदेशी पर्यटकों को

अपनी ओर आकर्षित करते रहे है। समृद्ध वैश्विक विरासत की विद्यमानता ने बिहार को अन्तर्राष्ट्रीय क्षितिज पर अपनी पहचान प्रदान की है।

वर्ष 2017 में श्री गुरू गोबिन्द सिंह जी महाराज के 350वें जन्मोत्सव का प्रकाश पर्व (03–05 जनवरी 2017) सफलता पूर्वक आयोजन किया गया। इस अवसर पर आने वाले लाखो श्रद्धालुओं/पर्यटकों की सुविधा हेतु पटना के तीन स्थान – गाँधी मैदान, बाईपास एवं कंगन घाट पटना साहिब में अस्थायी टेंट सिटी का निर्माण किया गया। इसमें श्रद्धालुओं को सभी प्रकार की सुविधाएँ प्रदान की गयी।

बोधगया में 34वीं कालचक्र पूजा का सफलता पूर्वक आयोजन किया गया, जिसमें परम पावन श्री दलाई लामा की अगुवाई में लाखों की संख्या में आये लोगों ने भाग लिया।

प्रधानमंत्री पैकेज के तहत जैन एवं कांवरियॉ सर्किट का विकास संबंधी योजना का पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त की गयी है।

विभिन्न जिलों में कई मेला/महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें श्रावणी मेला, सुल्तानगंज/मुंगेर/बांका, पितृपक्ष मेला, पुनपुन/गया, हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला, सारण (छपरा) तथा मुण्डेश्वरी महोत्सव, कैमूर, भभुआ/पटना साहिब महोत्सव, पटना/थावे महोत्सव, गोपालगंज/कुण्डलपुर महोत्सव, नालंदा/लछुआर महोत्सव, जमुई/वैशाली महोत्सव, वैशाली/सीतामढ़ी महोत्सव, सीतामढ़ी/सूफी महोत्सव, मनेर शरीफ/सूफी महोत्सव, काको, जहानाबाद एवं राजगीर महोत्सव, नालन्दा प्रमुख है।

वर्ष 2017–18 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चम्पारण सत्याग्रह के शताब्दी समारोह के अवसर पर पर्यटन विभाग द्वारा विविध कार्य किये जाने है, जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी से जुड़े स्थलों से संबंधित परियोजनाओं की स्वीकृति एवं उसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जी से जुड़े स्थलों पर उस स्थल के महत्व एवं ऐतिहासिकता से संबंधित शिलापट्ट लगाना, पर्यटकों की सुविधा हेतु मुख्य सड़कों पर साईनेज का निर्माण, चम्पारण सत्याग्रह पर ब्रोसर, बुकलेट एवं अन्य माध्यमों से प्रचार–प्रसार किये जाने हैं।

राजगीर में नये रज्जू पथ, मंदार पर्वत(बाँका), रोहतासगढ़ किला (रोहतासगढ़), में रज्जू पथ बनाया जायेगा। डोगेंश्वरी पर्वत, ब्रहमयोणी पर्वत, गया, मुंडेश्वरी पर्वत, कैमुर एवं प्रेतशिला पर्वत, गया एवं वाणावर पर्वत, जहानाबाद पर रज्जू पथ का निर्माण कराया जायेगा।

राज्य में अवस्थित विभिन्न पर्यटकीय स्थल यथा बाल्मीकिनगर नेशनल पार्क, पश्चिम चम्पारण, विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य, भागलपुर, घोड़ा–कटोरा, राजगीर, भीमबांध वण्यप्राणी अभ्यारण्य, मुंगेर, ककोलत जलप्रपात, नवादा, कैमूर जिलान्तर्गत तेलहर जलप्रपात एवं करकट जल प्रपात आदि स्थलों को इको–टूरिज्म के अन्तर्गत विकसित करने का कार्य किया जायेगा। राजगीर के घोड़ा कटोरा में भगवान बुद्ध की विशालकाय मूर्ति का अधिष्ठापन किया जायेगा। प्रत्येक शनिवार एवं रविवार गाँधी घाट, पटना में संचालित गंगा महाआरती वर्ष 2011 से संचालित किया जा रहा है। जनवरी 2013 से गोलघर परिसर में प्रत्येक संध्या साउण्ड एवं लाईट लेजर शो संचालित किया जा रहा है।

पर्यटक मौसम (नवम्बर से फरवरी) तक राजगीर, नालन्दा, पावापुरी, बोधगया, वैशाली का पैकेज टूर संचालित किया जा रहा है।

बोधगया स्थित मायासरोवर परिसर में बागवानी, सरोवर के तट पर Slope का कार्य, High Mast light लगाये जाने का कार्य एवं चहारदिवारी निर्माण का कार्य किया गया है।

i;Vu foHkkx dk o"k 2017&18 e 109-87 djkM ¼,d vjc uk djkM lrklh yk[k½ :i;s vkofVr dju dk iLrko djrk gq ftle Ldhe en e 91-01 djkM ¼,dkuo djkM ,d yk[k½ :i;s rFkk LFkkiuk ,o ifrc) 0;; en e 18-86 djkM ¼vBkjg djkM fN;klh yk[k½ :i;s 'kkfey gA

dYkk] lLdfr ,o ;ok foHkkx

विभाग की ओर से सम्पन्न 350 वें प्रकाशोत्सव के अवसर पर महत्वपूर्ण सांस्कृतिक गतिविधियाँ की गईं, जिसने राज्य की प्रतिष्ठा बढ़ाई। यह वर्ष बिहार कलावर्ष के रूप में घोषित है। कई रंगारंग कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इस वर्ष नालंदा के पुरातात्विक स्थल को विश्वदाय स्मारक के रूप में स्वीकृति मिली, यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अबतक मात्र महाबोधि मंदिर विश्वदाय स्मारकों में शामिल था।

राज्य में सांस्कृतिक वातावरण निर्माण हेतु विभाग के द्वारा शुक्रगुलजार, शनिबहार, संगीत बिहान, संगीत संध्या आदि कार्यक्रमों का नियमित आयोजन किया जा रहा है।

श्रावणी मेला–2016 के अवसर पर सुलतानगंज (भागलपुर), अवरखा (बांका), कमरसार (मुंगेर) एवं भगवानपुर (वैशाली) में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कराया गया। जिला स्थापना दिवस, जिला युवा उत्सव, विद्यापति महोत्सव, समस्तीपुर, दशरथ मांझी महोत्सव, गया, शेरशाह सूरी

महोत्सव, सासाराम, हरिहर क्षेत्र महोत्सव, सोनपुर, जयप्रकाश नारायण महोत्सव, गोदना सिमरिया उत्सव, किन्नर महोत्सव, महनार महोत्सव, महुआ महोत्सव, मिथिला ग्रामोत्सव, भिखारी ठाकुर पर कार्यक्रम कराये गये। बिहार दिवस, राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है।

राज्य के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के जनसमुदाय को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से विभाग द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन जिला प्रशासन के माध्यम से कराया जाता है।

प्रदर्श एवं चाक्षुष कला के क्षेत्र के कलाकारों को सम्मानित करने के उद्देश्य से बिहार कला पुरस्कार योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष–2015–16 एवं 2016–17 के लिए चयनित कुल 42 कलाकारों को 18 अक्टूबर, 2016 को अधिवेशन भवन, पटना में बिहार कला दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया।

भारतीय नृत्य कला मंदिर, पटना के पुनर्निर्माण की कार्रवाई की जा रही है।

राज्य के प्रत्येक प्रमंडलीय जिला मुख्यालय (पटना प्रमंडल को छोड़कर) में 600 क्षमतायुक्त आदर्श प्रेक्षागृह–सह–आर्ट गैलरी के निर्माण योजना के तहत दरभंगा एवं सहरसा प्रमंडलीय जिला मुख्यालय में तथा मुंगेर संग्रहालय परिसर में प्रेक्षागृह सह–आर्ट गैलरी निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है।

मिथिला लोक चित्रकला के संरक्षण, संवर्द्धन एवं विकास हेतु मिथिला चित्रकला संस्थान, सौराठ, मधुबनी में स्थापित किया जा रहा है।

राज्य में फिल्म निर्माण के प्रोत्साहन हेतु ''बिहार राज्य फिल्म विकास प्रोत्साहन नीति'' तैयार की जा रही है। फिल्म के विकास हेतु फिल्म सिटी का निर्माण, राजगीर नालंदा में कराया जाना है, जिसके लिए 20 (बीस) एकड़ भूमि को चिन्हित किया गया है।

श्री गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज के 350 वीं प्रकाशोत्सव के अवसर पर विभाग द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर से 5 जनवरी, 2017 तक पटना के विभिन्न प्रेक्षागृहों में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कराया गया।

पुरातात्विक और ऐतिहासिक स्थलों/स्मारकों को व्यापक रूप से संरक्षित और विकसित किया जा रहा है। जिन स्थलों के संरक्षण एवं स्थल विकास के कार्य किए गए हैं, उनमें बटेश्वर स्थान, गणीनाथ, विशहर स्थान (वैशाली) , मॉरिशन भवन एवं संबद्ध परिसर (पटना), नमक सत्याग्रह स्थल, गढ़पुरा (बेगूसराय), रहसू भगत का मंदिर (गोपालगंज), सैयद इब्राहिम हुसैन का मकबरा (भागलपुर), कोटेश्वर धाम, मेनग्राम (गया) जैसे स्थल उल्लेखनीय हैं। इसके अतिरिक्त

13वें वित्त आयोग की अनुशंसित राशि से महत्वपूर्ण चयनित स्मारकों/पुरास्थलों के पुरातात्विक संरक्षण एवं स्थल विकास के कार्य किए जा रहे हैं।

गोलघर के भीतर आर्कषक मल्टीमीडिया लेजर शो का आयोजन किया जा रहा है।

इस वर्ष केन्द्रीय सुरक्षित स्मारक/पुरास्थल प्राचीन नालन्दा महाविहार के भग्नावशेष को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। प्राचीन नालन्दा महाविहार के भग्नावशेष पर documentary film का निर्माण संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त छः official languages में कराया गया है।

चम्पारण सत्याग्रह के शताब्दी वर्ष के अवसर पर बिहार विरासत विकास समिति, पटना द्वारा हेरिटेज वाक का आयोजन कराया जा रहा है।

राजा भोज का किला/नवरतनगढ़ (बक्सर) को राज्य सरकार द्वारा सुरक्षित पुरास्थल/स्मारक घोषित किया गया है।

वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय–सह–स्मृति स्तूप के निर्माण के लिए 72 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है।

लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी के पैतृक गाँव सिताब दियारा, सारण में स्मृति भवन एवं पुस्तकालय भवन का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है।

राज्य के प्रतिभावान बालक–बालिका खिलाड़ियों के लिए मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत 20 (बीस) एकलव्य राज्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केन्द्र योजना संचालित है। वर्ष 2017–18 में बालिकाओं हेतु विशेष एकलव्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की जाएगी।

वर्ष 2017–18 में ''आओ खेलो कार्यक्रम'' के तहत प्रमंडलीय मुख्यालय में निर्मित जिला स्तरीय आउटडोर एवं इंडोर स्टेडियम में प्रबंधन समिति के माध्यम से आओ खेलो योजना लागू कर खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

वर्ष 2017–18 में मोईनुलहक स्टेडियम, राजेन्द्र नगर, पटना में अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम निर्माण तथा राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेट स्पोर्ट्स एकेडमी तथा क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किये जाने की योजना है।

dyk lLd`fr ,oa ;qok foHkkx dk o"kZ 2017&18 esa 137-55 djksM+ ¼,d vjc lSarhl djksM+ ipiu yk[k½ :i;s vkofVr djus dk iLrko djrk gw¡ ftlesa Ldhe en esa

57-95 djkM+ ¼lUrkou djkM+ iupkuos yk[k½ :i;s rFkk LFkkiuk ,oa izfrc) O;;
en esa 79-60 djkM+ ¼mU;klh djkM+ lkB yk[k½ :i;s 'kkfey gSaA

lkekU; iz'kklu foHkkx

शिकायतों की सुनवाई एवं निवारण का अवसर प्रदान करने की ठोस, पारदर्शी एवं जवाबदेह व्यवस्था कायम करने के उद्देश्य से गुड–गवर्नेस की दिशा में सरकार द्वारा सम्पूर्ण क्रांति दिवस–दिनांक 05 जून, 2016 को पूरे राज्य में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 को लागू किया गया है।

नियत समय सीमा में सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2011 में प्रारंभ की गई बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत अबतक 14 करोड़ से अधिक सेवाएँ प्रदान की गई है। जनहित में इस वर्ष इसके अन्तर्गत खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षरण विभाग की 3 नई सेवाएँ (नये राशन कार्ड का निर्गमन, राशन कार्ड में संशोधन एवं राशन कार्ड का प्रत्यर्पण/रद्दीकरण) जोड़ी गई है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं पटना उच्च न्यायालय पटना के परामर्श के आलोक में बिहार उच्च न्यायिक सेवा–जिला न्यायाधीश (प्रवेश बिन्दु) के पद पर एवं बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु बिहार उच्च न्यायिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2016 एवं बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्त्ती) (संशोधन) नियमावली, 2016 में आरक्षण एवं अन्य प्रावधानों को लागू किया गया है।

राज्य के सभी सरकारी सेवकों एवं संवर्गो के सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों की आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गयी है।

राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी को राज्य सरकार की सेवाओं में नियुक्ति में 2 (दो) प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रमाण–पत्रों की प्राप्ति हेतु शपथ पत्र की अनिवार्यता को समाप्त किया गया है। इसके अन्तर्गत जाति प्रमाण–पत्र, पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए क्रिमीलेयर सहित प्रमाण–पत्र, निवास प्रमाण–पत्र, आय प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन के साथ स्वयं दिये जाने वाले शपथ पत्र (स्वयं शपथ पत्र) का प्रावधान किया गया है।

भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में सरकार द्वारा Zero Tolerance की नीति अपनाते हुए कड़ी कार्रवाई की गई है। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप में पदाधिकारियों/कर्मियों को सेवा से बर्खास्त किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में सचिवालय अनुदेश के स्थान पर नया "Secretariat Manual of Office Procedure बनाया जायेगा।

सरकारी सेवकों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु जाँच/संचालन पदाधिकारी के रूप में सेवा–निवृत्त पदाधिकारियों को सूचीबद्ध (Empanel) करने हेतु प्रक्रिया का निर्धारण किया जायेगा।

lkekU; iz'kklu foHkkx dk o"kZ 2017&18 esa 524-40 djksM+ ¼ikap vjc pkSchl djksM+ pkyhl yk[k½ :i;s vkofVr djus dk izLrko djrk gS ftlesa Ldhe en esa 58-53 djksM+ ¼vUBkou djksM+ rhjiu yk[k½ :i;s rFkk LFkkiuk ,oa izfrc) O;; en esa 465-88 djksM+ ¼pkj vjc iSlB djksM+ vBklh yk[k½ :i;s 'kkfey gSA

ef=eMy lfpoky; foHkkx

सुशासन के कार्यक्रम 2015–2020 के तहत सरकार 'न्याय के साथ विकास* का नजरिया रखते हुए सभी लोगों, क्षेत्रों और वर्गो को साथ लेकर चलने का संकल्प अभिव्यक्त करती है। इस क्रम में विकसित बिहार के सात निश्चय, कृषि रोड मैप, मानव विकास मिशन, कौशल विकास मिशन, आधारभूत संरचना और औद्योगिक प्रोत्साहन के कार्यक्रम एवं अन्य संकल्पों के अनुश्रवण हेतु बिहार विकास मिशन के गठन के रूप में संस्थागत व्यवस्था की गई है।

वर्ष 2005 में किये गये ''जनता के दरबार में मुख्यमंत्री'' कार्यक्रम को लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के रूप में संस्थागत ढ़ांचा प्रदान कर अधिक जिम्मेवार बनाया गया है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में The Indian Association for the study of conservation of cultural Property के वार्षिक अधिवेशन का आयोजन, अभिलेखों का डिजीटाईजेशन एवं लेमिनेशन, अभिलेख बिहार वार्षिक शोध पत्रिका 2017 का प्रकाशन, महात्मा गांधी के चम्पारण यात्रा के शताब्दी वर्ष के अवसर पर सेमिनार/संगोष्ठी का आयोजन, डाक्यूमेंटेशन ऑन किसान मूवमेंट पार्ट–6, बसावन सिंह/मो० मजहरूल हक/प्रो० अब्दुल बारी इन द रिकार्डस ऑफ बिहार स्टेट आर्काइब्स का प्रकाशन प्रक्रियाधीन है।

हिन्दी के उत्थान के निमित्त शिखर सम्मान पुरस्कार, नामित पुरस्कार, सरकारी सेवक प्रोत्साहन पुरस्कार, पाडुंलिपि प्रकाशन अनुदान योजना, अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए विशेष अंगीभूत जैसी विभिन्न योजनाएँ प्रस्तावित हैं।

द्वितीय राजभाषा उर्दू को उर्दू भाषी जनता के बीच सहज, सुगम एवं लोकप्रिय बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का सफल कार्यान्वयन किया गया है।

पटना हवाई अड्डा के विस्तारीकरण हेतु 11.37 एकड़ भूमि भारतीय विमानपतन प्राधिकरण, पटना को बदलैन के आधार पर हस्तान्तरण का निर्णय लिया गया है। बिहटा सैन्य हवाई अड्डा से विमानों के संयुक्त परिचालन एवं सिविल इन्क्लेव के निर्माण हेतु कुल 126.4075 एकड़ भू–अर्जन कर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को निःशुल्क सौंपने का निर्णय लिया गया है। हवाईअड्डों की क्षतिग्रस्त चहारदिवारियों की मरम्मति हेतु राशि विमुक्त की गई है।

2017–18 में राजकीय विमान का ओभरहॉल, विभिन्न हवाईअड्डों के चहारदिवारी निर्माण, छोटे हेलीपोर्टों का निर्माण तथा लॉन्ज निर्माण का लक्ष्य है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के साथ अन्य 304 अन्य राज्य अतिथियों के बिहार परिभ्रमण के दौरान आतिथ्य का सफल प्रबंधन किया गया। इस वर्ष नालंदा विश्वविद्यालय, राजगीर के प्रथम दीक्षांत समारोह का सफल आयोजन किया गया।

बिहार निवास, नई दिल्ली के अतिरिक्त भवन एवं जगन्नाथ पुरी ओडीसा में भूखंड आवंटन हेतु क्रमशः शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय, भारत सरकार तथा ओडीसा सरकार से अनुरोध किया गया है।

ef=eMy lfpoky; foHkkx dk o"k 2017&18 e 414-21 djkM ¼pkj vjc pkng djkM bDdhl yk[k½ :i; vkofVr dju dk izLrko djrk g ftle Ldhe en e 224-80 djkM ¼nk vjc pkchl djkM vLlh yk[k½ :i; rFkk LFkkiuk ,o izfrc) O;; en e 189-41 djkM ¼,d vjc uoklh djkM bdrkfyl yk[k½ :i; 'kkfey gA

Hkou fuek.k foHkkx

विभाग द्वारा राज्य में सरकारी भवनों के निर्माण एवं रख–रखाव कार्य का प्रभावी प्रबंधन किया जा रहा है। राज्य में अभियंत्रण महाविद्यालय, पॉलिटेकनिक कॉलेज, आई.टी.आई. के भवन निर्माण की योजनाऍ प्रभावी तरीके से कार्यान्वित की जा रही है।

वर्ष 2017–18 में इसके लिए मुख्यतः– वाणिज्य कर विभाग के कार्यालय भवनों के निर्माण हेतु 603.77 लाख रू. कोषागार कार्यालयों के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 200 लाख रू., नया पुलिस मुख्यालय भवन के निर्माण हेतु 100 करोड़ रू., संयुक्त श्रम के भवन निर्माण हेतु 50 करोड़ रू., प्रखण्ड कार्यालयों के भवन निर्माण हेतु 301.14 करोड़ रू., अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालयों के निर्माण हेतु 25 करोड़ रू., अल्पसंख्यकों के बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम अन्तर्गत 148.86 करोड़ रू., अल्पसंख्यक कल्याण विभागों के आवासों के निर्माण हेतु 13 करोड़ रू. एवं छात्रावासों के निर्माण हेतु 77 करोड़ रू., अल्पसंख्यक समुदाय के महानुभावों के लिए भवन निर्माण हेतु 42 करोड़ रुपये, अनुसूचित जाति के भवन निर्माण हेतु 470 करोड़ रू., सांस्कृतिक संरचना निर्माण हेतु 208.01 करोड़ रू., औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों के निर्माण हेतु 190 करोड़ रू., इंजीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालयों के भवन निर्माण हेतु 98.22 करोड़ रू., पोलिटेक्नीक भवनों के निर्माण हेतु 200 करोड़ रू., पिछड़े वर्ग के आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों के भवन निर्माण हेतु 58 करोड़ रू, ग्राम न्यायालयों के अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु 250 करोड़ रू., प्रस्तावित हैं।

वर्ष 2017–18 में आवासीय पूंजीगत परिव्यय में कुल–239.305 करोड़ रुपये प्रस्तावित है, चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों के निमित्त प्राथमिकता के आधार पर कम से कम 750 आवास बनाये जायेगे ।

इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएँ बिहार संग्रहालय, कन्वेंशन सेंटर–सह–ज्ञान भवन, विधान मंडल भवन–सह–सचिवालय भवन विस्तारीकरण का कार्य भी किये जा रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में विधान मंडल के माननीय सदस्यों के आवास की योजनाओं को पूर्ण किया जायेगा। साथ ही गर्दनीबाग, राजवंशी नगर एवं शास्त्रीनगर के पुनर्विकास की योजना का कार्य किया जायेगा।

Hkou fuekZ.k foHkkx dk o"kZ 2017&18 esa 4007-34 djksM+ ¼pkyw lfgr vjc lkr djksM+ pkSrhl yk[k½ :i;s vkofVr djus dk izLrko djrk gw¡ ftlesa Ldhe en esa 3384-79 ¼rsrhl vjc pkSjklh djksM+ mU;klh yk[k½ :i;s rFkk LFkkiuk ,oa izfrc) 0;; en esa 622-55 djksM+ ¼N% vjc ckbZl djksM+ ipiu yk[k½ :i;s 'kkfey gSA

[kku ,oa HkwrRo foHkkx

खनन क्षेत्र से प्राप्त राजस्व के मामले में राज्य द्वारा तीव्र विकास किया गया है। वर्ष 2015–16 में 1000 करोड़ रूपये लक्ष्य के विरूद्ध 971 करोड़ रूपये तथा वर्ष 2016–17 में वार्षिक लक्ष्य 1100 करोड़ रूपये के विरूद्ध माह दिसम्बर–2016 तक 628 करोड़ रूपये की प्राप्ति हुई है।

सूचना एवं प्रावैद्यिकी का प्रयोग खनन विभाग में व्यापक स्तर पर किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप राजस्व संग्रहण में अपेक्षित वृद्धि और अवैध खनन पर प्रभावकारी नियंत्रण स्थापित किया जायेगा।

अवैध उत्खनन की रोक–थाम के लिए सभी जिलों में टास्क फोर्स गठित है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में माह नवम्बर 2016 तक 2218 छापेमारी, 627 प्राथमिकी दर्ज हुए एवं 193 अवैध उत्खननकर्त्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। इस क्रम में दण्ड के रूप में कुल 844.75 लाख रू0 की वसूली की गई है।

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972/2014 में संशोधन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

MMDR Amendment Act, 2015 के अनुपालन में District Mineral Foundation Rules का प्रारूपण अन्तिम चरण में है। वृहद खनिज के पट्टेधारियों से National Mineral Exploration Trust में स्वामित्व की 2 प्रतिशत राशि जमा कर इसकी सूचना खान मंत्रालय, केन्द्र सरकार को भेजी जा रही है।

खनिज परिवहन हेतु E-Challan लागू करने के लिए NIC द्वारा Software तैयार किया गया है, एवं trial basis पर प्रत्येक जिला में एक बालू घाट चिन्हित कर इसे लागू किया गया है।

ईंट–भट्ठों से प्राप्त राजस्व पर प्रभावकारी नियंत्रण बनाये रखने हेतु Geo-Mapping application का प्रयोग करते हुए Mobile-app विकसित किया गया है।

अबतक बिहार राज्य के 5 जिलों गया, नवादा, शेखपुरा, औरंगाबाद एवं बाँका में कुल 42 पत्थर खनन पट्टों की लोक नीलामी के माध्यम से बंदोबस्ती की गयी है। पाँच वर्षों हेतु बंदोबस्ती राशि कुल 750.30 करोड़ रूपये है।

कार्य विभाग द्वारा व्यवहृत खनिजों से स्वामित्व की शत–प्रतिशत वसूली के उद्देश्य से सभी विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

[kku ,o Hk rRo foHkkx dk o"k 2017&18 e 25-85 djkM ¼iPph l djkM ipk l h yk[k½ :i; vkofVr dju dk iLrko djrk g tk LFkkiuk ,o ifrc) 0;; en e 'kkfey gA

<u>ifjogu foHkkx</u>

परिवहन विभाग राज्य का एक प्रमुख राजस्व संग्रहकर्ता विभाग है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में 1070.97 करोड़ रूपये की वसूली की गई जो पूर्व वर्ष से 10.8% अधिक है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में माह दिसम्बर, 2016 तक 888.70 करोड़ रूपये की वसूली हो चुकी है। वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु 1800 करोड़ रूपये राजस्व वसूली का लक्ष्य है।

महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में विभाग द्वारा व्यावसायिक अनुज्ञप्तिधारी महिला चालकों को महिलाओं के नाम पर निबंधित तिपहिया वाहन, टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब आदि के चालन में शत–प्रतिशत वाहन कर में छूट दी गई है।

राज्य स्तर पर "बिहार राज्य सड़क सुरक्षा पर्षद" तथा जिला स्तर पर "जिला सड़क सुरक्षा समिति" गठित है। इस वर्ष दिनांक–09.01.2017 से दिनांक–15.01.2017 तक पूरे राज्य में ''सड़क सुरक्षा सप्ताह'' का आयोजन कर आमजनों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया।

लोक सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 अंतर्गत 18 सेवाओं को लाया गया है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में माह दिसम्बर तक प्राप्त आवेदन पत्रों में से कुल 1017559 आवेदन पत्रों का निष्पादन किया गया है, जो कुल प्राप्त आवेदन पत्रों का 96.5% है।

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा शहरी यातायात को व्यवस्थित करने के लिए नुरूम से प्राप्त 150 बसों का संचालन किया जा रहा है।

श्री गुरूगोविन्द सिंह जी महाराज की 350 वीं जयन्ती के अवसर पर आयोजित प्रकाशपर्व के अवसर पर आगन्तुक श्रद्धालुओं के निःशुल्क भ्रमण हेतु परिवहन विभाग द्वारा 150 बस सेवा, 100 ई–रिक्शा तथा जल यान की व्यवस्था की गई।

राज्य के सभी जिलों के जिला परिवहन कार्यालय–सह–परिवहन सुविधा केंद्रों का भवन निर्माण किया जा रहा है।

चालकों को प्रशिक्षण देने हेतु 2341.25 लाख (तेइस करोड़ एकतालीस लाख पच्चीस हजार) रूपये की लागत से औरंगाबाद जिला में एक आधुनिक चालक प्रशिक्षण–सह–शोध संस्थान का निर्माण कार्य चल रहा है।

12वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत दो पूर्ण कम्प्यूटरीकृत Automated Inspection & Certification Centre की स्थापना का प्रस्ताव है।

राज्य में ओवर लोडिंग पर अंकुश लगाने के उद्‌देश्य से पटना, बिहटा तथा फतुहा में कम्प्यूटराईज्ड वे–ब्रीज (धर्म कांटा) का अधिष्ठापन किया गया है। मसौढ़ी में वे–ब्रीज का अधिष्ठापन प्रक्रियाधीन है। ''वे–ब्रीज'' के क्रियाशील हाने से वाहनों के ओवरलोडिंग पर अंकुश लगेगा। इससे सड़कों एवं पुलों का संरक्षण हो सकेगा।

ifjogu foHkkx dk o"k 2017&18 e 60-06 djkM ¼lkB djkM N% yk[k½ :i; vkofVr dju dk iLrko djrk g ftle Ldhe en e 11-00 djkM ¼X;kjg djkM½ :i; rFkk LFkkiuk ,o ifrc) 0;; en e 49-06 djkM ¼mUpkl djkM N% yk[k½ :i; 'kkfey gA

e| fu"k/k] mRikn ,o fuca/ku foHkkx

राज्य में 1 अप्रैल, 2016 से देशी शराब/मसालेदार देशी शराब का विनिर्माण, खरीद–बिक्री और उपभोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तत्पश्चात् राज्य सरकार की शराब बंदी नीति को प्राप्त अपार जन समर्थन और नागरिकों की मांग को देखते हुये दिनांक 05.04.2016 से विदेशी शराब का थोक एवं खुदरा व्यापार तथा उपभोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।

मद्य निषेध नीति के कार्यान्वयन के फलस्वरूप राज्य में आपराधिक घटनाओं यथा हत्या में 28.3 प्रतिशत, बलात्कार में 10.17 प्रतिशत, महिला उत्पीड़न में 2.3 प्रतिशत एवं दलित उत्पीड़न में 14.8 प्रतिशत की कमी आई है। राज्य के पारिवारिक एवं सामाजिक माहौल में परिवर्त्तन आ रहा है और अमन–चैन कायम हो रहा है। राज्य में शराब बंदी का सफल कार्यान्वयन एवं शराब की लत छुड़ाने के लिये सभी जिला मुख्यालयों में नशामुक्ति केन्द्र खोले गये हैं, जिसमें चिकित्सा के साथ–साथ परामर्श की भी व्यवस्था की गई है। अवैध शराब की खरीद–बिक्री एवं इसके उपयोग को रोकने के लिये 2 अक्टूबर, 2016 से बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 लागू किया गया है। सरकारी स्तर पर शिक्षा विभाग द्वारा जागरूकता पैदा करने के लिये 21 जनवरी को ऐतिहासिक मानव श्रृखंला बना कर मद्य निषेध कार्यक्रम के द्वितीय चरण की शुरूआत की गई है।

न्यायिक मुद्रांकों की फर्जी बिक्री पर कारगर प्रतिबंध लगाने हेतु पटना उच्च न्यायालय सहित राज्य के जिला एवं व्यवहार न्यायालयों एवं सभी अनुमंडल न्यायालयों में फ्रैकिंग व्यवस्था द्वारा कोर्ट–फी स्टाम्प की विक्रय व्यवस्था लागू की गयी है।

राज्य सरकार की e-governance नीति तथा पेपरलेस कार्य को बढ़ावा देने के लिये विकल्प के रूप मे विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों के Online Registration प्रणाली को लागू किया गया। Online Payment प्रोत्साहित करने के लिए देय स्टाम्प ड्यूटी की राशि में 1% (एक प्रतिशत) अधिकतम 2000/–(दो हजार रूपये) मात्र तक की छूट देने का निर्णय लिया गया है।

आम नागरिक विभाग के वेबसाईट www.registration.bih.nic.in पर जाकर सभी प्रकार के दस्तावेज का मॉडल डीड डाउनलोड कर सकते है तथा इस आधार पर अपना दस्तावेज तैयार कर विभागीय वेबसाईट पर जाकर ऑनलाईन दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं।

आम नागरिक की सहायता हेतु राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों में May I Help You Booth स्थापित किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा छात्र एवं आम नागरिक को शिक्षा एवं चिकित्सा ऋण लेने में आर्थिक बोझ कम करने एवं इसे सुलभ बनाने हेतु सभी प्रकार के शिक्षा एवं चिकित्सा ऋण के दस्तावेजों पर देय निबंधन शुल्क (2%) एवं स्टाम्प ड्यूटी (1%) में क्रमशः 75% एवं 50% की कमी की गयी है। महिला सशक्तिकरण नीति, 2015 के तहत विभाग द्वारा विक्रय–पत्र एवं दान–पत्र से संबंधित दस्तावेजों के निबंधन पर देय स्टाम्प ड्यूटी एवं निबंधन शुल्क में 5% (पाँच प्रतिशत) की छूट दी गयी है।

वित्त विभाग की सहायता से RBI के द्वारा उपलब्ध कराये गये वेब पोर्टल ई–कुबेर के माध्यम से विलेख निबंधन की राशि सीधे सरकार के खाते में जमा करने का ट्रायल दानापुर निबंधन कार्यालय में अभी चल रहा है।

दस्तावेजों के निबंधन से संबंधित 30 प्रकार के दस्तावेजों के मॉडल डीड विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित कर दिया गया है, जिसके आधार पर आम जन द्वारा स्वयं भी दस्तावेज तैयार किया जा सकता है। बिहार के निबंधन कार्यालयों में वर्ष 1795 से दस्तावेजों से संबंधित संधारित अभिलेखों के पूर्णरूपेण Digitize का कार्य प्रक्रियाधीन है। Digitization के पश्चात् आम जन को समस्त विलेख Digital Mode में उपलब्ध हो जाऐगा। इसके लिए राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों में कम्प्यूटरीकृत निबंधन व्यवस्था लागू है।

दस्तावेजों के निबंधन को और अधिक पारदर्शी बनाने हेतु समस्त निबंधन कार्यालयों को MPLS Connectivity के माध्यम से विश्वेश्वरैया भवन में स्थापित विभागीय डाटा सेन्टर से जोड़ दिया गया है।

मध निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा वर्ष 1908–09 से 2014–15 तक निबंधित लगभग 45,000(पैंतालिस हजार) संस्थाओं एवं लगभग 8,000(आठ हजार) फर्मों का डिजिटाईजेशन किया जा चुका है, शेष प्रगति पर है।

fuc/ku mRikn ,o e| fu"k/k foHkkx dk o"k 2017&18 e 152-80 djkM ¼,d vjc ckou djkM vLlh yk[k½ :i; vkofVr dju dk iLrko djrk g ftle Ldhe en e 1-00 djkM ¼,d djkM½ :i; rFkk LFkkiuk ,o ifrc) 0;; en e 151-80 djkM ¼,d vjc bdkou djkM vLlh yk[k½ :i; 'kkfey gA

okf.kT;&dj foHkkx

वाणिज्य–कर विभाग द्वारा राजस्व संग्रहण में उत्तरोत्तर वृद्धि दर्ज की गई है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के निर्धारित लक्ष्य 22000 (बाईस हजार) करोड़ रूपये की प्राप्ति हेतु विभाग प्रयत्नशील है।

राज्य के सुपौल जिला के व्यवसायियों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से सुपौल में वाणिज्य–कर का नया अंचल कार्यालय स्थापित किया गया है।

वाणिज्य–कर विभाग में कम्प्यूटरीकरण के अन्तर्गत सभी कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है। इस क्रम में विभाग के सभी पदाधिकारियों को लैपटॉप भी उपलब्ध कराया गया है। विभाग द्वारा प्रदान की जानेवाली मुख्य सेवाएँ यथा निबंधन, करों का भुगतान, प्रान्तीय एवं अन्तर्प्रान्तीय परिवहन हेतु रोड परमिट, केन्द्रीय प्रपत्रों का निर्गमन आदि ऑनलाईन किये जा चुके हैं। फलतः ऐसे कार्यों के लिए व्यवसायियों के वाणिज्य–कर कार्यालय आने की बाध्यता खत्म हो गयी है।

भामाशाह सम्मान योजना के तहत राज्य के प्रतिष्ठित एवं सर्वाधिक करदाता व्यवसायियों को सम्मानित किया जाता है।

राज्य के निबंधित व्यवसायियों के लिए दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना, 2014 लागू है जिसके अधीन निबंधित व्यवसायियों की दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में उनके वैध आश्रितों को 2 लाख रूपये का अनुदान दिया जाता है।

औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत कतिपय शर्तों के अधीन व्यवसायियों को वैट प्रतिपूर्ति हेतु वर्ष 2016–17 में उद्योग विभाग से प्राप्त 183.51 करोड़ रूपये की राशि से वैट प्रतिपूर्ति की कार्रवाई की जा रही है।

राजस्व संग्रहण में अभिवृद्धि के लिए अतिरिक्त स्रोत सृजित करने हेतु महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं।

बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के साथ उपाबद्ध अनुसूची–III में वर्णित वस्तुओं पर विहित कर दर 5 प्रतिशत को बढ़ाकर 6 प्रतिशत एवं अविनिर्दिष्ट वस्तुओं पर विहित कर दर 14.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया गया है।

बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम–2क में विनिर्दिष्ट व्यवसायियों हेतु कराधेय मात्रा पाँच लाख रूपये से दस लाख रूपये की गयी है।

नये कराधान जी0एस0टी0 को लागू करने की दिशा में विभाग पूर्णतः अग्रसर है। विभाग में जी0एस0टी0 सेल अलग से गठित किया गया है। मास्टर ट्रेनर एवं ट्रेनर बनाया जा चुका है तथा ट्रेनर द्वारा पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम लगभग पूर्ण हो गया है। वर्त्तमान में विभाग में प्रयुक्त कम्प्यूटर प्रणाली को प्रस्तावित नये कराधान जी0एस0टी0 के लिए और अधिक सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित करने की योजना है।

okf.kT;&dj foHkkx dk o"k 2017&18 e 129-13 djkM ¼,d vjc mUrhl djkM rjg yk[k½ :i;s vkofVr dju dk iLrko djrk g tk LFkkiuk ,o ifrc) 0;; en e 'kfey gA

fuokpu foHkkx

निर्वाचक सूची का अन्तिम प्रकाशन दिनांक 10.01.2017 को किया गया है। वर्तमान में फोटो निर्वाचन सूची में कुल निर्वाचकों की संख्या 6,84,19,328 (छः करोड़ चौरासी लाख उन्नीस हजार तीन सौ अठाईस) है। निर्वाचक सूची में छायाचित्रों का आच्छादन एवं ईपिकधारियों की कुल संख्या शत–प्रतिशत है।

आम जनता को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के वेबसाईट पर ऑन–लाईन पद्धति से प्रारूप 6, 7, 8 एवं 8ए में आवेदन करने की सुविधा प्रदान की गई है। यह सुविधा भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के वेबसाइट पर सिटिजन सर्विसेज में दी गई सुविधा के अतिरिक्त है।

आम जनता के सुझाव एवं शिकायत हेतु राज्य स्तर पर कॉल सेन्टर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना के कार्यालय में स्थापित की गयी है। कोई भी व्यक्ति कॉल–सेन्टर में टॉल–फ्री नं०–1950 पर डायल कर अपना सुझाव एवं शिकायत दर्ज करा सकता है।

नागरिकों को Systematic Voters Education and Electoral Participation (SVEEP) के माध्यम से जागरूक बनाया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ‘Ethical Voting’ के लिए आम जनता में जागरूकता पैदा करने हेतु विशेष प्रयास किये जा रहे हैं।

भारत निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण, नियंत्रण एवं निर्देशन में राज्य स्तर, जिला स्तर एवं मतदान केन्द्र स्तर पर सप्तम् राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2017 को मनाया गया।

fuokZpu foHkkx dk o"kZ 2017&18 esa 90-88 djksM+ ¼uCcs djksM+ vBklh yk[k½ :i;s vkofVr djus dk izLrko djrk gw¡ tks LFkkiuk ,oa izfrc) O;; en esa 'kkfey gSA

fuxjkuh foHkkx

राज्य प्रशासन को भ्रष्टाचार मुक्त करने हेतु राज्य सरकार जीरो टॉलरेन्स नीति पर चल रही है।

भ्रष्टाचार नियंत्रण हेतु लोक सेवकों द्वारा अर्जित अवैध सम्पत्ति के अधिहरण (Confiscation) हेतु बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 के आलोक में कुल–09 मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें 7,05,27,121/- (सात करोड़ पाँच लाख सताईस हजार एक सौ इक्कीस रूपये मात्र) रूपये की सम्पत्ति अधिहरित का प्रस्ताव है।

बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 के तहत अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति के अधिहरण हेतु दायर वादों में विगत वर्ष तीन मामलों में भ्रष्टाचारी लोक सेवकों की 1.96 करोड़ रूपये की सम्पत्ति अधिहरित की गई। कुल 08 मामलों में लोकसेवकों की सम्पत्ति राज्यसात् की गई है।

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा ट्रैप से संबंधित 110 कांडों, पद के भ्रष्ट दुरूपयोग से संबंधित 28 एवं प्रत्यानुपातिक धनार्जन से संबंधित 21 कांड सहित कुल–159 कांड दर्ज हुए, जिसमें 121 लोक सेवक/गैर लोक सेवक गिरफ्तार किये गये एवं 109 मामलों में अंतिम प्रपत्र समर्पित किया गया है।

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो एवं विशेष निगरानी इकाई को सशक्त बनाने हेतु 25 सेवा निवृत्त पुलिस उपाधीक्षकों की संविदा के आधार पर नियुक्ति की गयी है।

fuxjkuh foHkkx dk o"kZ 2017&18 esa 36-21 djksM+¼NRrhl djksM+ bDdhl yk[k½ :i;s vkofVr djus dk izLrko djrk gw¡ tks LFkkiuk ,oa izfrc) O;; en esa 'kkfey gSA

lalnh; dk;Z foHkkx

विभाग के अंतर्गत मुख्य कार्य विधान मण्डल की संयुक्त बैठक एवं अन्य बैठकों का आयोजन करवाना/दोनों सदनों की बैठक हेतु कार्यक्रम तैयार करना/विधान मण्डल के प्रश्नों/ध्यानाकर्षण प्रस्तावों/निवेदनों/आश्वासनों के त्वरित कार्यान्वयन हेतु विभागीय परामर्श समितियों का गठन करना तथा उनकी बैठकों का आयोजन करना/विधान मण्डलीय सदस्यों/ मंत्रियों के वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाओं की समीक्षा करना/विधायी कार्यों के सन्दर्भ में अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करना है।

lalnh; dk;l foHkkx dk o"k 2017&18 e 2-01 djkM ¼nk djkM ,d yk[k½ :i; vkofVr dju dk iLrko djrk g tk LFkkiuk ,o ifrc) 0;; en e 'kkfey gA

lpuk ,o tulid foHkkx

यह विभाग विशेष प्रचार अभियान के तहत आउटडोर पब्लिसिटी, फिल्म का निर्माण एवं प्रदर्शन, प्रकाशन, विकास एवं निवेश के लिए वातावरण निर्माण, सजावटी विज्ञापन, प्रेस संबंधित कार्यक्रम, प्रदर्शनी, रोड शो, गीत एवं नाट्य मास मीडिया द्वारा राज्य में निवेश एवं विकास का वातावरण बनाने का कार्य करता है।

सभी जिलों में प्रेस क्लब भवन के निर्माण की दिशा में कार्रवाई की जा रही है।

राज्य में कार्यरत संचार प्रतिनिधियों को ग्रुप चिकित्सीय एवं व्यक्तिगत दुघर्टना बीमा योजना का वित्तीय लाभ एवं अन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराने से संबंधित वित्तीय अंशदान तथा निबंधन हेतु बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना लागू किया गया है। राज्य के वरिष्ठ मीडिया कर्मियों को पेंशन योजना से आच्छादित करने के उद्देश्य से विभाग के स्तर पर पत्रकार पेंशन योजना प्रारंभ किया गया है।

lpuk ,o tulid foHkkx dk o"k 2017&18 e 204-56 djkM ¼nk vjc pkj djkM Nliu yk[k½ :i; vkofVr dju dk iLrko djrk g ftle Ldhe en e 90-12 djkM ¼uCc djkM ckjg yk[k½ :i; rFkk LFkkiuk ,o ifrc) 0;; en e 114-43 djkM ¼,d vjc pkng djkM rrkyhl yk[k½ :i; 'kkfey gA

xUuk m|kx foHkkx

कृषि रोड मैप के तहत मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में इस कार्यक्रम के तहत प्रजनक बीज, आधार बीज एवं प्रमाणित बीज का उत्पादन किया गया एवं गन्ना कृषकों के बीच 7.02 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज का जैविक खाद/पौधा संरक्षण रसायन तथा कार्बनिक एवं जैविक उर्वरकों के साथ अनुदानित दर पर वितरण किया गया।

कृषकों के लिए एकदिवसीय कृषक प्रशिक्षण का आयोजन कर 9300 गन्ना कृषकों को प्रशिक्षित किया गया।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में 1865 लाख (अठारह करोड़ पैंसठ लाख) रूपये की लागत पर मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के तहत त्रिस्तरीय बीज उत्पादन कार्यक्रम/गन्ना फसल को बोरर कीट एवं अन्य कीटों तथा बीमारियों से बचाव हेतु कीटनाशक दवा के छिड़काव हेतु अनुदान/योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु लौह होर्डिंग्स सहित प्रचार फ्लैक्सी के निर्माण/राज्यस्तरीय कार्यशाला–सह–प्रशिक्षण/गन्ना किसानों का एकदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यान्वित कराने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल 140.08 लाख रू० की लागत पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अन्तर्गत गन्ना के साथ तेलहन एवं दलहन फसल का अन्तरवर्ती खेती पर प्रत्यक्षण तथा राज्य स्तरीय प्रशिक्षण एवं कुल 200 लाख रू० की लागत पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत अनुदानित दर पर रैटून मैनेजमेन्ट डिवाइस, ट्रेन्चर एवं इलेक्ट्रीक/डीजल पम्पसेट (10HP) का वितरण की योजना कार्यान्वित की जा रही है।

पेराई सत्र 2016–17 में निर्धारित दर पर किसानों के ईख मूल्य भुगतान हेतु सरकार के स्तर से मिलों को आर्थिक सहायता के रूप में इस वर्ष के लिए ईख क्रय कर के भुगतान की अदायगी से विमुक्ति एवं क्षेत्रीय विकास परिषद् कमीशन की दर को गत् वर्ष की भाँति घटाकर ईख मूल्य के 0.20 प्रतिशत के रूप में निर्धारित करने की कार्रवाई की जा रही है।

सरकार द्वारा घोषित प्रोत्साहन पैकेज–2006 के तहत राज्य में कार्यरत चीनी मिलों द्वारा 600 करोड़ रूपये का निवेश किया गया जिससे राज्य की चीनी मिलों की दैनिक पेराई क्षमता लगभग 32000 TCD से बढ़कर 60000 TCD हुई। चीनी मिलों के साथ नई डिस्टीलरियाँ एवं सह–विद्युत उत्पादन इकाई भी स्थापित हुए। राज्य में इथेनॉल का उत्पादन आरम्भ हुआ।

राज्य में चीनी एवं गन्ना आधारित उद्योगों की स्थापना एवं विकास को और आकर्षक बनाने के उद्देश्य से प्रोत्साहन पैकेज 2006 को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तर्ज पर वर्त्तमान् परिप्रेक्ष्य में

और परिमार्जित करते हुए प्रोत्साहन पैकेज 2014 के रूप में घोषित किया गया। नई प्रोत्साहन नीति में अचल पूँजी निवेश अन्तर्गत अनुदान की अधिसीमा 10% से बढ़ाकर 20% निर्धारित की गयी है।

बिहार राज्य चीनी निगम की 15 बंद इकाइयों एवं 2 डिस्टीलरियों के पुनर्जीवन हेतु किए गए कार्य अन्तर्गत लौरिया एवं सुगौली में नई मिलें स्थापित हुई हैं, बिहटा में ड्राई पोर्ट का निर्माण हुआ है, समस्तीपुर में जूट एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना, रैयाम में चीनी मिल की स्थापना तथा सकरी में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग डिस्टीलरी एवं डेयरी उद्योग की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

गन्ना सर्वेक्षण नीति एवं बिहार गन्ना प्रबंधन सूचना प्रणाली के अंतर्गत ईख उत्पादक कृषकों द्वारा लगाये गये गन्ने का आधुनिक उपकरणों के माध्यम से विगत् तीन वर्षो से घोषित सर्वेक्षण नीति के अनुरूप GPS प्रणाली के माध्यम से किसानवार लगाये गये गन्ने के सर्वेक्षण का कार्य सम्पन्न कराया जा रहा है।

गन्ना उत्पादक किसानों को समय पर उनके द्वारा लगाये गये गन्ने की मापी, गन्ना आपूर्ति हेतु कैलेण्डरिंग एवं उसके मूल्य भुगतान से संबंधित सूचनाओं की जानकारी SMS के माध्यम से देने हेतु बिहार गन्ना प्रबंधन सूचना प्रणाली (BSMIS) को विकसित कर लागू किया गया है।

घटतौली नियंत्रण हेतु गन्ना कृषकों को Computerized Weighment receipt उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

xUuk m|ksx foHkkx dk o"kZ 2017&18 esa 118-58 djksM+ ¼,d vjc vBkjg djksM+ vBkou yk[k½ :i;s vkofVr djus dk izLrko djrk gw¡ ftlesa Ldhe en esa 101-84 djksM+ ¼,d vjc ,d djksM+ pkSjklh yk[k½ :i;s rFkk LFkkiuk ,oa izfrc) O;; en esa 16-73 djksM+ ¼lksyg djksM+ frgRrj yk[k½ :i;s 'kkfey gSaA

माननीय अध्यक्ष महोदय,

पिछले एक वर्ष में हमारी सरकार ने आम आदमी के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में साम्प्रदायिक सद्भाव, संस्कृति और आर्थिक विकास की रौशनी फैलाने का काम किया है। केन्द्र सरकार की प्रतिकूल नीतियों–विशेष दर्जा नहीं देने, फन्ड शेयरिंग का पैटर्न बदल देने और

नोटबंदी के झंझावात के बावजूद हमारे अजम और हौसले का दीया जलता रहा है और जलता रहेगा। हम चांद और सूरज की बात नहीं करते हैं, दीये की बात करते हैं, यह आम आदमी के जुझारूपन का प्रतीक है।

vc e oÙkeku foÙkh; o"k 2016&17 d iujhf{kr vuekuk rFkk vxy foÙkh; o"k 2017&2018 d ctV vuekuk dk l{ki e iLrr dj jgk gA

वर्ष 2017–18 में राजस्व प्राप्तियों का अनुमान 1,37,158.41 करोड़ रुपये (एक लाख सैंतीस हजार एक सौ अन्ठावन करोड़ एकतालीस लाख रूपये) है। वित्तीय वर्ष 2016–17 का पुनरीक्षित अनुमान 1,27,537.39 करोड़ रुपये (एक लाख सताईस हजार पाँच सौ सैंतीस करोड़ उन्चालीस लाख रूपये) है।

वर्ष 2016–17 के पुनरीक्षित अनुमान में पूंजीगत प्राप्तियाँ 19,488.54 करोड़ रुपये (उन्नीस हजार चार सौ अठ्ठासी करोड़ चौवन लाख रूपये) की राशि प्राप्त होनी है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में 23,880.68 करोड़ रूपये (तेईस हजार आठ सौ अस्सी करोड़ अड़सठ लाख रूपये) प्राप्त होना संभावित है, जो वर्ष 2016–17 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में 4392.14 करोड़ रूपये (चार हजार तीन सौ बानवे करोड़ चौदह लाख रूपये) अधिक होगा।

वर्ष 2016–17 के पुनरीक्षित बजट अनुमान में राजस्व व्यय 1,19,293.62 करोड़ रूपये (एक लाख उन्नीस हजार दो सौ तिरानवे करोड़ बासठ लाख रूपये) आंकी गई है। वर्ष 2017–18 में राजस्व व्यय 1,22,602.82 करोड़ रूपये (एक लाख बाईस हजार छः सौ दो करोड़ बेरासी लाख रूपये) आंका गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3,309.20 करोड़ रूपये (तीन हजार तीन सौ नौ करोड़ बीस लाख रूपये) अधिक है।

वर्ष 2016–17 के पुनरीक्षित अनुमान में पूंजीगत व्यय (ऋण सहित) 35,033.85 करोड़ रुपये (पैंतीस हजार तैंतीस करोड़ पचासी लाख रूपये) आंकी गयी है। वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान में पूंजीगत व्यय (ऋण सहित) 37,482.87 करोड़ रूपये (सैंतीस हजार चार सौ बेरासी करोड़ सतासी लाख रूपये) है। वर्ष 2017–18 में पूंजीगत व्यय (ऋण सहित) पिछले वर्ष की तुलना में 2,449.02 करोड़ रूपये (दो हजार चार सौ उन्चास करोड़ दो लाख रूपये) अधिक है ।

राजस्व एवं पूंजीगत व्यय का 2016–17 का पुनरीक्षित बजट अनुमान 1,54,327.47 करोड़ रूपये (एक लाख चौवन हजार तीन सौ सताईस करोड़ सैंतालीस लाख रूपये) का है । वर्ष 2017–18 में 1,60,085.69 करोड़ रूपये (एक लाख साठ हजार पचासी करोड़ उन्हत्तर लाख रूपये) का

राजस्व एवं पूंजीगत व्यय होने का अनुमान किया गया है, जो पिछले वर्ष के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में 5,758.22 करोड़ रूपये (पाँच हजार सात सौ अन्ठावन करोड़ बाईस लाख रूपये) अधिक है।

वर्ष 2017–18 में राज्य की वार्षिक स्कीम 80891.61 करोड़ रूपये (अस्सी हजार आठ सौ एकानवे करोड़ एकसठ लाख रूपये) की अनुमानित की गयी है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में केन्द्रीय प्रक्षेत्र स्कीम में 375.62 करोड़ रूपये (तीन सौ पचहत्तर करोड़ बासठ लाख रूपये) का व्यय होना प्रस्तावित है।

अनुसूचित जातियों एवं जन जातियों के लिए कर्णांकित राशिः– वित्तीय वर्ष 2017–18 में वार्षिक स्कीम के अधीन मुख्य शीर्ष 2225 एवं अन्य मुख्य शीर्षों के अधीन लघु शीर्ष 789 अनुसूचित जातियों के लिए कर्णांकित है उसके अन्तर्गत कुल 15,027.04 करोड़ रूपये (पंद्रह हजार सताईस करोड़ चार लाख रूपये) की राशि प्रस्तावित है।

अनुसूचित जन जातियों के लिए कुल 1,347.64 करोड़ रूपये (एक हजार तीन सौ सैंतालीस करोड़ चौंसठ लाख रूपये) प्रावधानित है जो कि मुख्य शीर्ष 2225 एवं अन्य मुख्य शीर्षों के अधीन लघु शीर्ष 796 अनुसूचित जनजाति के लिए कर्णांकित की गयी है।

समेकित निधि में भारित राशि– वित्तीय वर्ष 2017–18 के बजट में 15,279.53 करोड़ रूपये (पंद्रह हजार दो सौ उनासी करोड़ तिरपन लाख रूपये) भारित मद में व्यय होनी प्रस्तावित है जिसमें सूद मद में 9,591.35 करोड़ रूपये, (नौ हजार पाँच सौ एकानवे करोड़ पैंतीस लाख रूपये) लोक ऋण की मूलधन वापसी में 4,797.28 करोड़ रूपये (चार हजार सात सौ सन्तानवे करोड़ अठाईस लाख रूपये), निक्षेप निधि में 664.01 करोड़ रूपये, (छः सौ चौंसठ करोड़ एक लाख रूपये), माननीय उच्च न्यायालय के व्यय हेतु 166.42 करोड़ रूपये (एक सौ छियासठ करोड़ बाईस लाख रूपये), बिहार लोक सेवा आयोग के लिए 22.60 करोड़ रूपये (बाईस करोड़ साठ लाख रूपये), राज्यपाल सचिवालय हेतु 20.08 करोड़ रूपये (बीस करोड़ आठ लाख रूपये), लोकायुक्त के लिए 5.79 करोड़ रूपये (पाँच करोड़ उनासी लाख रूपये), बिहार विधान सभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा बिहार विधान परिषद् के सभापति/उप सभापति के वेतन एवं भत्ते मद हेतु 1.14 करोड़ रूपये (एक करोड़ चौदह लाख रूपये) एवं माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीशों के सेवा निवृति लाभ मद में 10.85 करोड़ रूपये (दस करोड़ पचासी लाख रूपये) प्रस्तावित है।

राजकोषीय घाटाः– राजकोषीय घाटा को नियंत्रण में रखने के लिए बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में लक्ष्य निर्धारित किये गये है जिसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में राजकोषीय घाटा 3.5 प्रतिशत तक हो सकता है। 3.5 प्रतिशत तक की सुविधा मुहैया हो इसके लिए भारत सरकार से अनुमति अपेक्षित है जिसके लिए आवश्यक अभिलेख भारत सरकार को भेजे जा रहे हैं ताकि वर्ष 2016–17 में 3.5 प्रतिशत का लक्ष्य बिहार के लिए निर्धारित हो। वर्ष 2017–18 के लिए वर्त्तमान में 3 प्रतिशत की अधिसीमा तक ही राजकोषीय घाटा रखा जाना है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 का राज्य सकल घरेलू उत्पाद 6,32,180.00 करोड़ रूपये (छः लाख बतीस हजार एक सौ अस्सी करोड़ रूपये) अनुमानित है जो कि योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय) द्वारा सूचित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में राजकोषीय घाटा 18,112.00 करोड़ रूपये (अठारह हजार एक सौ बारह करोड़ रूपये) का है, जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 2.87 प्रतिशत है।

पूर्ण एकाग्रता एवं असीम धैर्य के साथ मेरा भाषण सुनने के लिए, माननीय सदस्यों और सदन के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। मैं वर्ष 2017–18 की वार्षिक वित्तीय विवरणी एवं अन्य बजट दस्तावेजों को सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ।

जय हिन्द !